एक सार्वभौमिक सेवा प्लेटफॉर्म का सृजन करना

डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को प्रेरित करना

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

आपका बैंक, आपके द्वार

बाधाओं से आगे की यात्रा से लेकर बैंकिंग परितंत्र को डिजिटलाइज करने तक

वैश्विक स्तर पर विनाश मचाने वाले एक प्रलयंकारी, अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य संकट के द्वारा किसी भी एक वर्ष में अभी तक इतनी अधिक तबाही नहीं हुई थी, कोविड–19 निर्विवाद रूप से 2020 की सबसे विशिष्ट और रूपांतरकारी घटना थी। यह घटना इस वर्ष भी हमारे जीवन को प्रभावित कर ही रही है और संभव है कि आगे आने वाले कई सालों तक करती रहे। इस 'नए सामान्य' वातावरण में परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थिर चीज है और रहेगी।

महामारी की विभिन्न चुनौतियों के बीच, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'ग्रामीणों और निर्धनों के द्वार तक बैंकों को लाकर आर्थिक परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण को साकार करने की हमारी अटूट प्रतिबद्ध ता भारत में वित्तीय समावेशन को नया रूप दे रही है। इस प्रयास में, डाक विभाग (डीओपी) का निरंतर समर्थन और सहयोग अटूट रहा है।

सरल क्यूआर कोड के माध्यम से डाकघर काउंटरों को डिजिटाइज करने से लेकर विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं में प्रत्यक्ष भुगतान को सक्षम करने और एक मजबूत अंतःपारस्परिक द्वार तक बैंकिंग परितंत्र की स्थापना करने तक, दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क और भारत के सबसे सुलभ और किफायती बैंकों में से एक के बीच साझीदारी और गठबंधन नए मानदंडों और ऐतिहासिक उपलब्धियों का निर्माण कर रहा है। वित वर्ष 2020–21 के बीच, डाक विभाग–आईपीपीबी का तालमेल का फोकस एक **सार्वभौमिक सेवा मंच** का निर्माण करने पर रहा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण), आईपीपीबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में यूनिफॉयड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), वर्चुअल डेबिट कार्ड और डाक पे –यूपीआई पीएसपी ऐप्लीकेशन जैसी नवीन और नागरिक केंद्रित सेवाओं के लांच के साथ, वर्ष के दौरान जोर अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रदायगी की गति को तेज बनाने पर था।

वन स्टॉप प्लेटफॉर्म

डाक विभाग द्वारा बैंकिग और डाक परिचालनों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन अभियान आरंभ किया गया है जिसका उद्वेश्य नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रक्रिया में सुधार, माध्यम संवर्धन तथा सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है। परिवर्तन और रूपांतरण की की इस यात्रा में, आईपीपीबी सर्वोत्तम बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप डाक विभाग के उत्पादों और प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण में सहायता करने में अपनी तकनीकी कौशल का योगदान दे रहा है। इसी प्रकार, डाक विभाग सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, जिनमें हमारे वर्तमान तथा नए ग्राहकों के लिए समग्र बैंकिंग अनुभव को व्यापक रूप से बदलने की क्षमता हो, की प्रदायगी के लिए एक एकीकृत वन–स्टॉप प्लेटफॉर्म के निर्माण में अपने विशाल और अद्‌भुत वितरण नेटवर्क की सहायता कर रहा है।

अपनी पूरकताओं और ताकतों का लाभ उठाते हुए डाक विभाग–आईपीपीबी प्लेटफॉर्म का उद्वेश्य ग्राहकों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवा कंपनियों और फिनटेक के लिए पसंदीदा साझीदार बनना है जिससे कि ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सर्वोत्तम समाधानों की सुविधा प्राप्त हो सके और सभी तीनों हितधारकों के लिए समान रूप से लाभ की स्थिति का निर्माण किया जा सके। कई फिनटेक एक डिजिटल बैंक का निर्माण कर रहे हैं और उनके साथ साझीदारी करना आईपीपीबी की डिजिटल रूपांतरण रणनीति को गति प्रदान करेगी और ग्राहकों को कई प्रकार के उत्पादों तथा बीमा, निवेश समाधान, आवास वित तथा इसी प्रकार की अन्य तीसरे पक्ष की सेवाओं को प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध कराएंगी।

एक परिमाण योग्य, चुस्त और अनुकूली व्यवसाय मॉडल के साथ, डीओपी और आईपीबी का संयोजन दीर्घ अवधि सतत विकास के लिए सेवा प्रदायगी का पसंदीदा माध्यम बनने का प्रयास करता है। बैंक बेहतर ग्राहक मूल्य और ईष्टतम लागत पर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि में निवेश करना जारी रखता है।

जैसाकि हम एक असाधारण वर्ष में परिचालन के चौथे वर्ष में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि समग्र, टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए प्रत्येक बैंक रहित और सेवा से वंचित रहने वाले व्यक्ति को बचत, भुगतान, बीमा और क्रेडिट के माध्यम से वित तक पहुंच की आवश्यकता होती है। **"आपका बैंक, आपके द्वार"** के हमारे दर्शन के अनुरूप, इस डिजिटल रूपांतरण यात्रा में हमारा दृष्टिकोण और रणनीति अंतिम मील में सबसे अधिक आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोगों की जरुरतों को पूरा करने पर केंद्रित होगी।

चौथी वार्शिक रिपोर्ट

(2020-2021)

अनुक्रमणिका

विशय सूची **पृश्ठ संख्या**

- आईपीपीबी एक नजर में 109
  - इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में
  - विजन एवं मिशन
  - सुदृढ़ अवसंरचना, मजबूत आर्थिकी
  - वित्तीय समावेश को डिकोड करना
  - ग्राहक खंड
  - अनूठी एवं नवोन्मेषी सेवाएं
  - विविध उपस्थिति
- कारोबारी मुख्यांश....................120
- कार्यात्मक मुख्यांश....................122
  - मानव संसाधन
  - विपणन एवं संचार
  - व्यवसाय विकास–उद्यम एवं सरकार
  - ग्राहक सेवा
  - सूचना एवं साइबर सुरक्षा
- खबरों में....................131
- परिवर्तन की कहानियां 134
- कोविड–19 – महामारी को यथोचित प्रत्युत्तर 135
- निदेशक मंडल 137
- प्रमुख उपलब्धियां 138
- पुरस्कार एवं सम्मान....................139
- अध्यक्ष का संदेश....................140
- प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश....................141
- निदेशक की रिपोर्ट 142
- साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट 162
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट 166
- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित वर्ष के लिए वार्षिक लेखे 177
- सीएजी लेखा परीक्षक रिपोर्ट....................210
- वित वर्ष 2020–21 के लिए साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर....................211

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

आपका बैंक, आपके द्वार

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना देश के सामान्य नागरिक के लिए **सबसे सुलभ, वहनीय और भरोसेमंद बैंक** का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मूल अधिदेश बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए बाधाओं को दूर करना तथा डाक नेटवर्क की व्यापक पहुंच का उपयोग कर अंतिम छोर तक पहुंचना है।

01 सितंबर, 2018 को इसके राष्ट्रव्यापी लोकार्पण के बाद, आईपीपीबी ने **136,000** से अधिक डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं का व्यापक समूह प्रदान करने में सक्षम बनाया है। इन डाकघरों में से डाकघर ग्रामीण भारत में है जिससे ग्रामीण बैंकिंग संरचना में लगभग **2.5 गुना** वृद्धि हुई है। **द्वार पर बैंकिंग सेवाएं** प्रदान करने हेतु **1.89 लाख से अधिक डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों** (जीडीएस) को स्मार्ट फोन और बायोमीट्रिक उपकरणों से लैस किया गया है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से संबंधित डाकघरों की क्षमता ने 'ग्रामीण बैंकिंग सेवा केंद्र' की औसत दूरी को 5–6 किमी (ग्रामीण बैंक शाखा अवसंरचना) से घटा कर अब 2.5 किमी (डाकघर से औसत दूरी) कर दिया है। अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवा प्रदाताओं (डाकियों/ग्रामीण डाक सेवकों) की प्रत्येक गांव तक लगभग प्रति दिन पहुंचने की क्षमता ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच की दूरी को '0 किमी' तक नीचे ला दिया है, इस प्रकार **आपका बैंक, आपके द्वार** के सार को वास्तव में आत्मसात किया गया है।

अगस्त 2019 में, **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सेवाओं** के आरभ होने के साथ ही, आईपीपीबी डाक विभाग की अंतिम छोर तक अभूतपूर्व पहुंच का लाभ प्राप्त करते हुए **किसी भी बैंक के ग्राहक** को अंतःपरिचालित द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला देश का एकमात्र सबसे बड़ा मंच भी बन गया है। जनधन कार्यक्रम लाखों भारतीयों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने में सहायक था। 30 सितंबर तक, 43.5 करोड़ से अधिक जन धन खाताधारक हैं जिनमें से दो तिहाई से अधिक ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। एईपीएस सेवाओं के साथ, आईपीपीबी के जन धन खाताधारकों सहित सभी ग्राहक खंडों को सेवा देने की क्षमता रखता है तथा पारंपरिक बैंकिंग इकोसिस्टम में पहुंच संबंधित चुनौतियों का सामना करने वाले ग्राहकों का समावेशन करने को नई गति प्रदान कर सकता है।

अपनी शुरुआत से 31 मार्च, 2021 तक, आईपीपीबी ने न केवल विभिन्न ग्राहक श्रेणियों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के अद्वितीय समाधान प्रस्तुत किए हैं बल्कि एक सहायक बैंकिंग मॉडल में सक्षम

वित्तीय रूप से समावेशी परितंत्र

- **ग्राहकों के द्वार पर** खोले गए **98 प्रतिशत** खाते
- लगभग 50 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं
- **महिलाओं द्वारा धारित 68 प्रतिशत** से अधिक खातों में **डीबीटी प्राप्त हो रहा है**
- **90 प्रतिशत** ग्राहक **ग्रामीण क्षेत्रों से** हैं
- **11.13 लाख* रुपे डेबिट कार्ड** जारी किए गए
- **4.32* लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र** जारी किए गए
- **पीएमजेजेबीवाई** के जरिये **61,000* से अधिक पॉलिसी बेची गईं**

* 31 मार्च 2021 तक

करने के द्वारा अंतिम छोर तक डिजिटल अनुपालन को सरल भी बना दिया है।

मितव्ययी नवोन्मेषण तथा शीर्ष प्रौद्योगिकी अवसंरचना का लाभ उठाने के द्वारा, आईपीपीबी ने सभी स्वयं–सेवा माध्यमों (मोबाइल एवं मर्चेंट ऐप) और सहायक माध्यम (माइक्र–एटीएम) में **13 भाशाओं** में सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रस्तुत किए हैं।

डाक विभाग (डीओपी) के साथ अपने घनिष्ठ और सहक्रियात्मक संबंधों के आधार पर, आईपीपीबी डाक विभाग के ग्राहकों को अंतःपारस्परिक बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम बनाता है और उन्हें बैंकिंग परितंत्र से जोड़ता है। आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और डिजिटल भारत के विजन में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा आदर्श वाक्य है –प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, **प्रत्येक लेनदेन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जमा मूल्यवान** है।

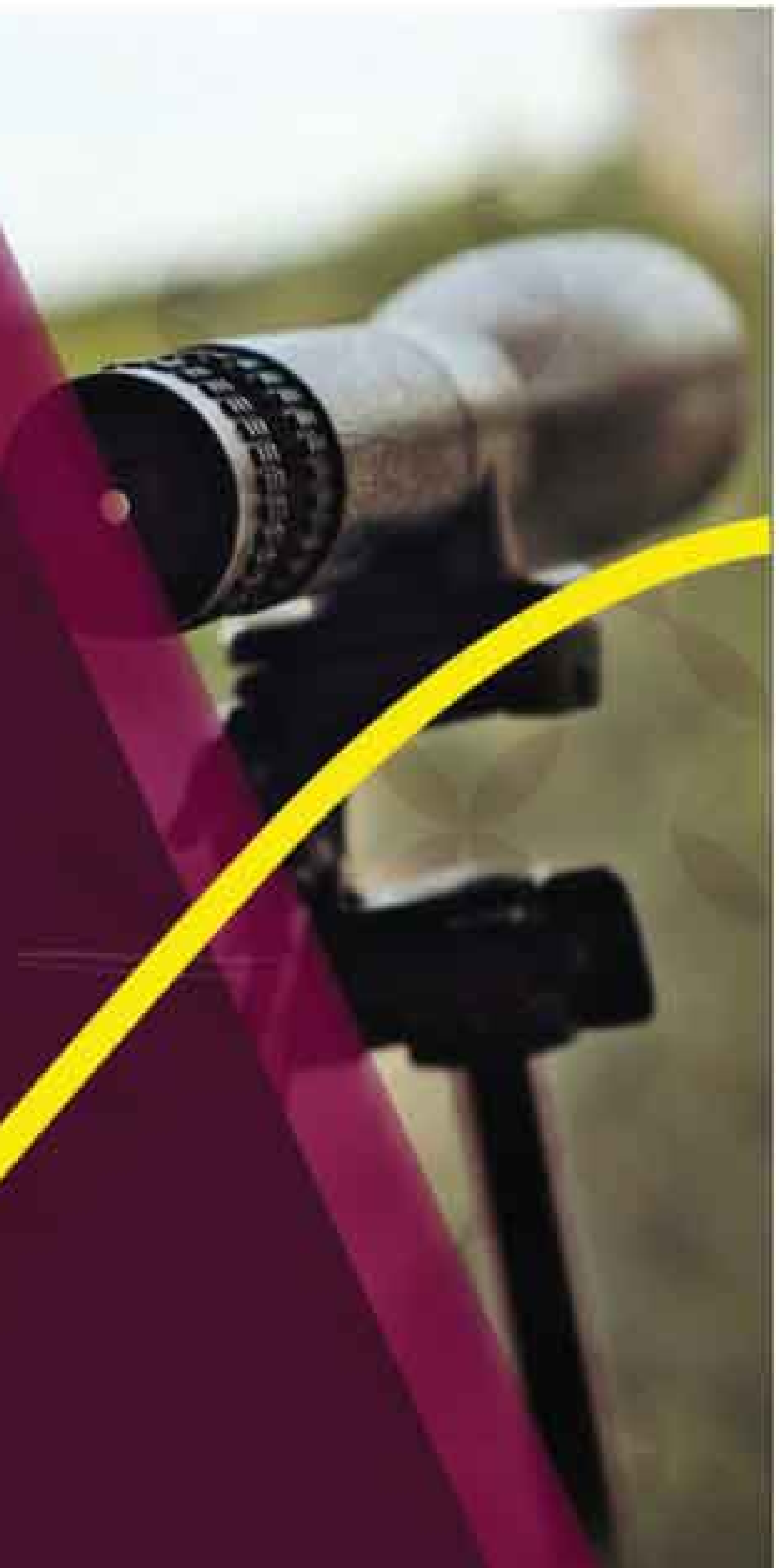

हमारा विजन

आम लोगों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक, किफायती और भरोसेमंद बैंक का निर्माण करना

हमारा मिशन

बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति हेतु बाधाओं को दूर करके एवं लागत को घटा कर वित्तीय समावेशन का नेतृत्व करना

मजबूत अवसंरचना, सुदृढ़ आर्थिकी
36
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
738
जिले
136,000
से अधिक बैंकिंग पहुंच बिन्दुएं
189,000
से अधिक डाकिये एवं जीडीएस
4.31
करोड़ ग्राहक
₹2,300
करोड़ कुल जमाएं
₹213
करोड़ कुल आय
₹130
करोड़ कारोबारी राजस्व
36.1%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात
650
शाखाएं

वित्तीय समावेशन को डिकोड करना–आईपीपीबी की उत्पत्ति

ग्रामीण ग्राहकों की सुगम्यता, वहनीयता चुनौतियों का समाधान करते हुए ग्राहकों के समावेशन को नया प्रोत्साहन प्रदान करना

डिजिटल एवं वित्तीय अधिकारिता की दिशा में यात्रा

प्रत्येक प्रमुख जिले को कवर करते हुए 650 शाखाएं

सुगम्यता

800 से अधिक प्रधान डाक घर

कार्यान्वयन

अंतिम मील को कवर करते हुए बैंकिंग पहुंच बिन्दुओं के रूप में 141,000 से अधिक शाखा डाकघर

सुगम्यता

ग्रामीण भारत के प्रत्येक हिस्से को कवर करते हुए **1.4 लाख से अधिक शाखा** डाक घर

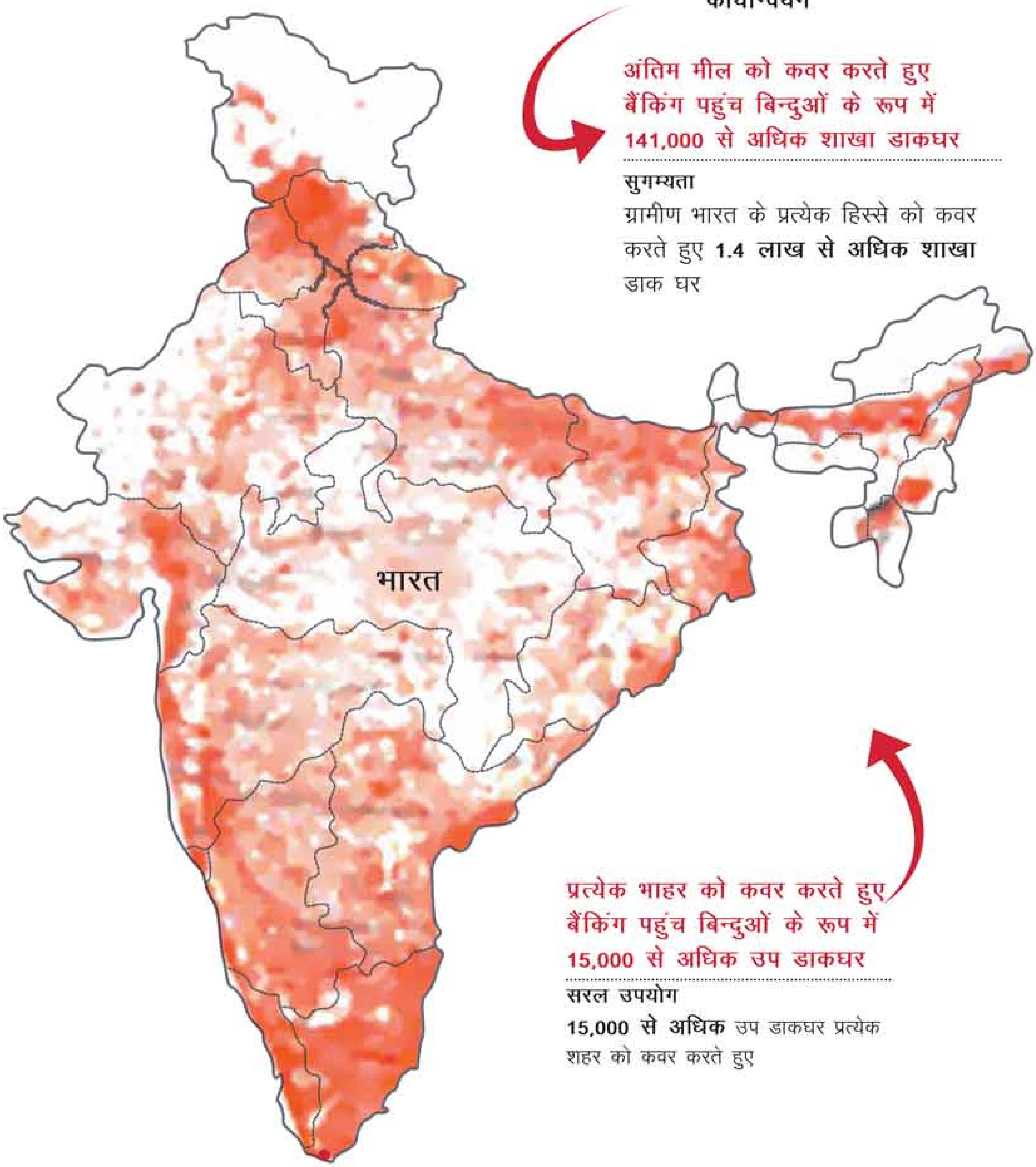

प्रत्येक भाहर को कवर करते हुए बैंकिंग पहुंच बिन्दुओं के रूप में 15,000 से अधिक उप डाकघर

सरल उपयोग

15,000 से अधिक उप डाकघर प्रत्येक शहर को कवर करते हुए

सामाजिक प्रभाव–बैंकिंग सक्षम

ग्राहक खंड

आईपीपीबी अपने ग्राहकों की वित्तीय और बैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसके केंद्र में ग्राहकों को रखते हुए, हमारे उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रंखला का उद्देश्य उनके लिए मूल्य तथा आनंदमय अनुभव का सृजन करना है। हमारे उपयोग में आसान, कुशल, सुरक्षित और सरल समाधान भारत और शहरी भारत की उभरती जरुरतों से प्रेरित हैं। उभरते कारोबारी माहौल और इकोसिस्टम के प्रत्युत्तर में, आईपीपीबी हमेशा वक्र से आगे रहने और अपने ग्राहकों की महत्वाकांक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

हमारे ग्राहक देश के कोने कोने और जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उनमें से एक बड़ा अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों का होता है जिनमें से कई संभवतः कभी बैंक नहीं गए हैं या उनके पास बचत खाता भी नहीं होता। 150 साल से अधिक देश की सेवा करने की भारतीय डाक की विरासत के साथ भरोसेमंद स्थानीय डाकिया के अंतिम मील के संपर्क के साथ यह अब बहुत संभव है। चाहे वे किसान हों, वरिष्ठ नागरिक हों, दिव्यांग व्यक्ति हों, किराना स्टोर के मालिक हों, छात्र हों, गृहिणियां हों, आईपीपीबी न केवल बैंकिंग सेवाओं को उनके द्वार पर लाकर उनके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, बल्कि एक ऐसा इको सिस्टम भी बना रहा है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है।

भारत में महिला केंद्रित अग्रणी बैंक

2 करोड़ से अधिक महिला ग्राहक (कुल ग्राहक आधार का 48 प्रतिशत)

महिला ग्राहकों द्वारा बैंक खाता जमाओं के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं

लगभग 40 लाख महिला ग्राहकों ने सरकारी लाभ सीधे अपने आईपीपीबी बैंक खातों में प्राप्त किए

महिलाओं द्वारा 2500 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी लाभ सीधे उनके आईपीपीबी बैंक खातों में प्राप्त किए गए

अनूठी और अभिनव सेवाएं

आईपीपीबी का उत्पाद पोर्टफोलियो व्यापक है और इसमें बचत तथा चालू खाता, 24 घंटे तत्काल धन हस्तांतरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित डीबीटी और छात्रवृत्ति का भुगतान, सामाजिक कल्याण लाभ, बिल और यूटिलिटी भुगतान, थर्ड पार्टी उत्पाद, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और ऐसी अन्य ग्राहक केंद्रित सेवाएं शामिल हैं।

विविध उपस्थिति

समस्त देश भर को कवर करने वाली भौगोलिक उपस्थिति के साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान में 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ से अधिक ग्राहकों की बैंकिंग और वित्तीय जरुरतों को पूरा करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रसार के साथ, भारत की वित्तीय सेवाओं का परिदृश्य उस गति तथा परिमाण से गुजर रहा है जो पहले नहीं देखा गया है। 650 शाखाओं तथा 136,000 से अधिक बैंकिंग पहुंच बिन्दुओं के एक अद्वितीय तथा मजबूत नेटवर्क को मिला कर, आईपीपीबी अपनी विशाल भौतिक उपस्थिति तथा डिजिटल क्षमताओं तथा बैंकिंग को अंतिम मील तक पहुंचाने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग करने के जरिये इस रूपांतरण में सबसे आगे रहना चाहता है।

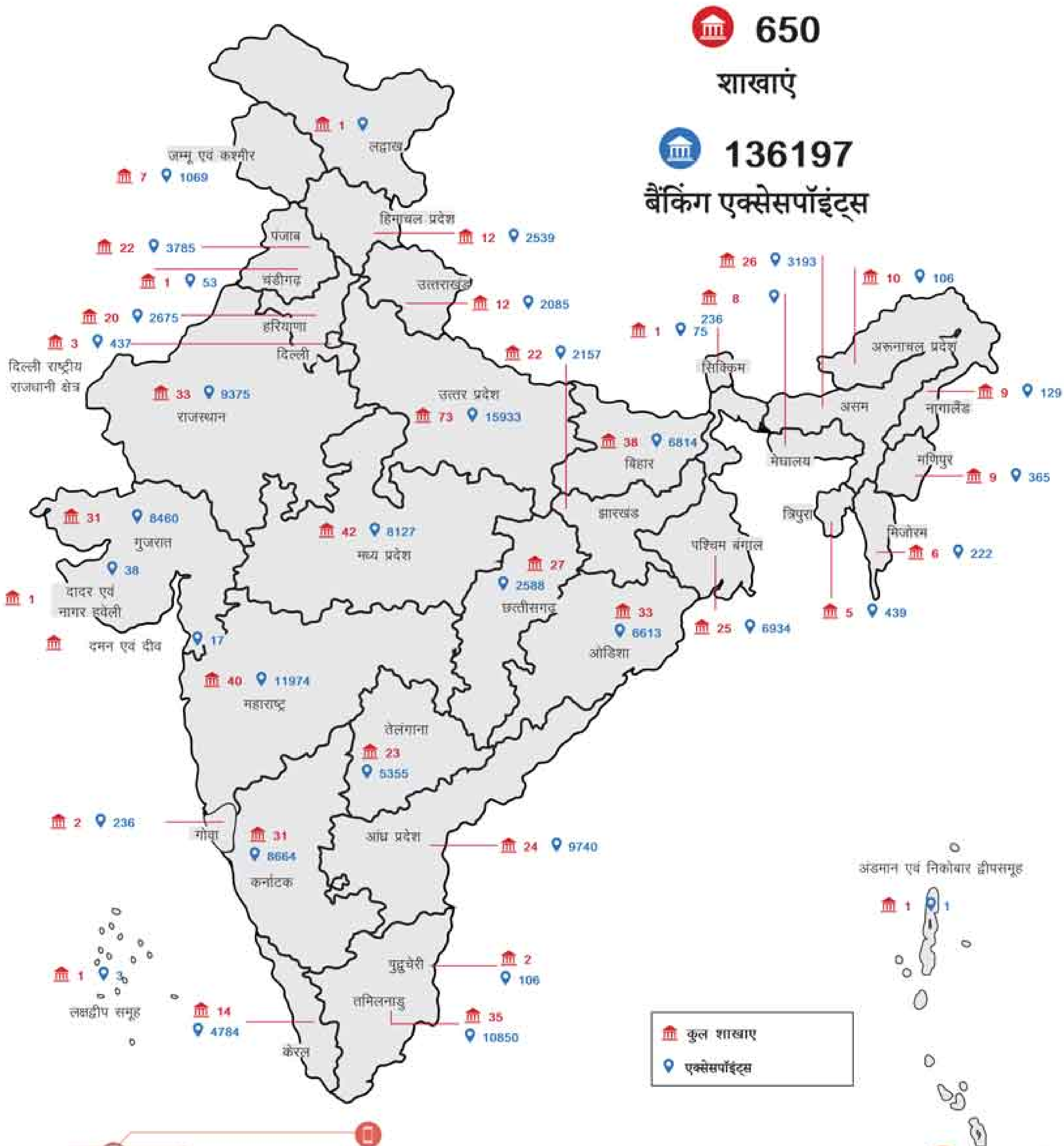

कारोबारी मुख्यांश

	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत में
ग्राहकों की कुल संख्या	2.36 करोड़	4.31 करोड़	83
कुल जमाएं	₹ 855 करोड़	₹ 2,300 करोड़	169
डिजिटल वित्तीय लेनदेन का मूल्य	₹ 13,520 करोड़	₹ 58, 709 करोड़	334
एईपीएस लेनदेन का मूल्य	₹ 873 करोड़	₹ 11, 733 करोड़	1244
कुल डीबीटी लाभार्थी	34.32 लाख	72.68 लाख	112
संवितरित डीबीटी का कुल मूल्य	₹ 188 करोड़	₹ 2,570 करोड़	1267
मोबाइल ऐप डाऊनलोड की संख्या	37 लाख	86 लाख	132

कारोबारी मुख्यांश

कुल ग्राहक

करोड़

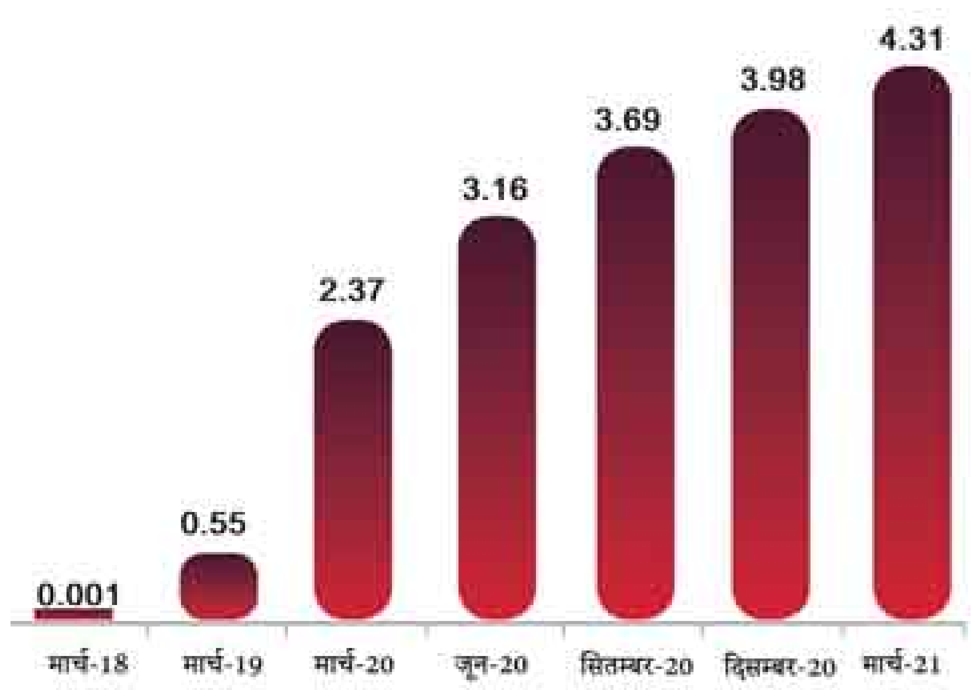

कुल जमाराशि

₹ करोड़

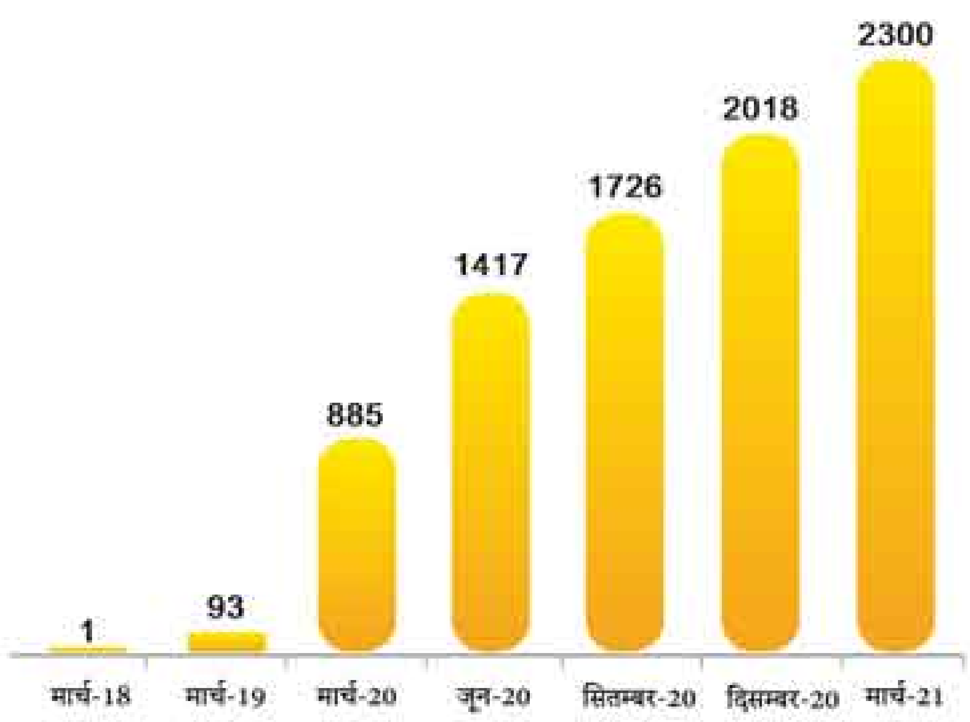

लेन-देन थ्रूपुट

₹ करोड़

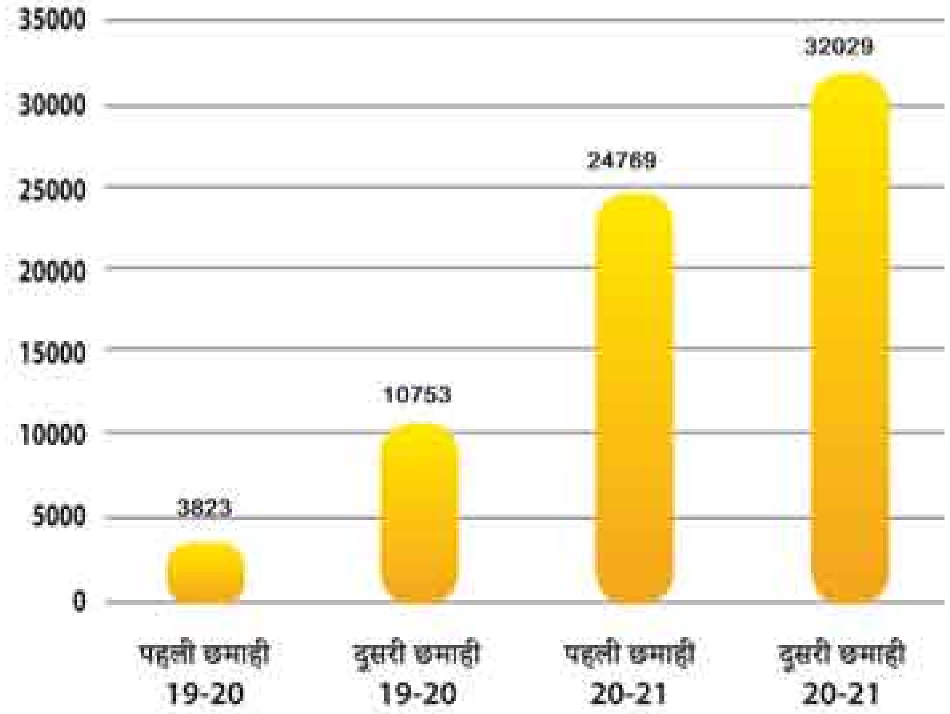

औसत संतुलन

₹ करोड़

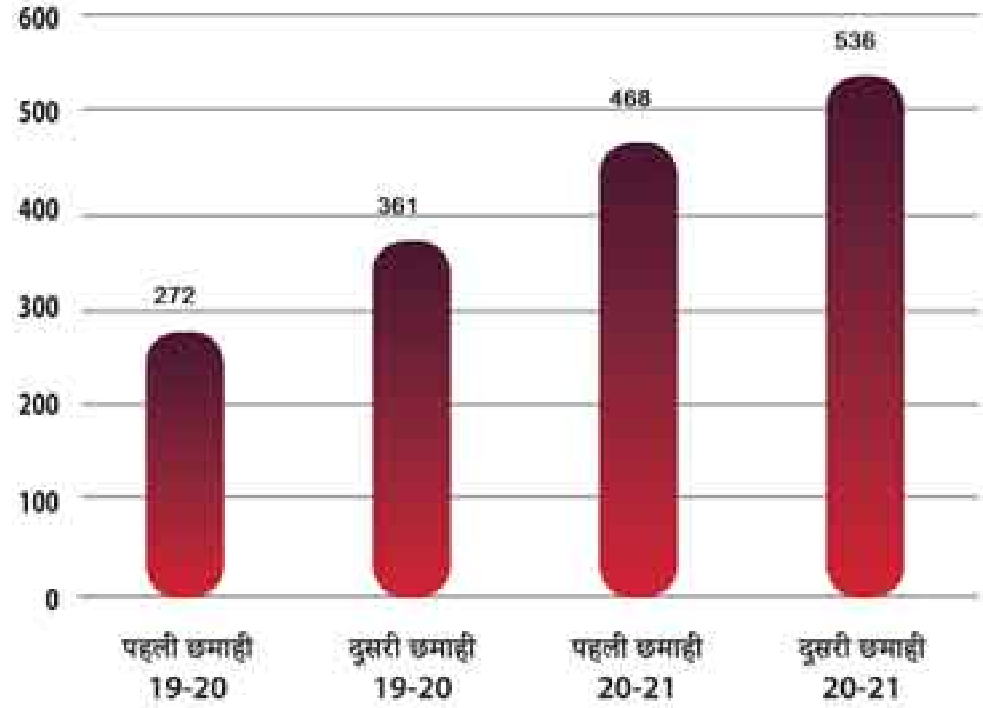

कुल आय

₹ करोड़

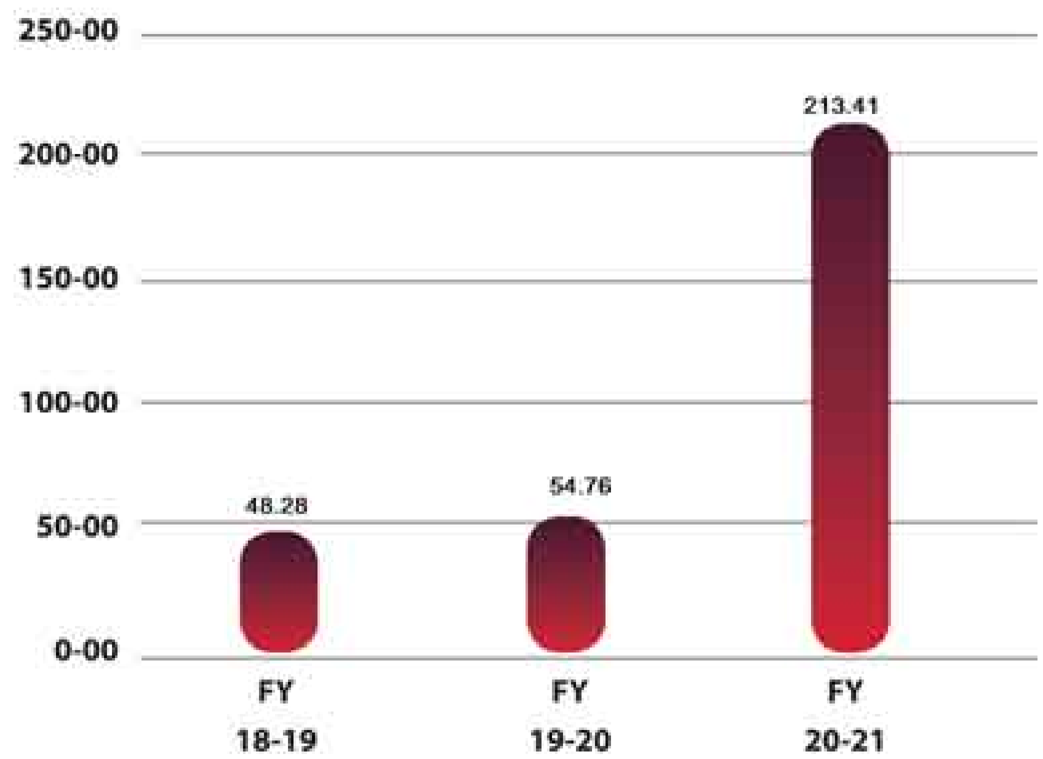

मानव संसाधन

किसी भी संगठन के लिए, मानव पूंजी उसके विकास और सफलता की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति और आधारशिला है। आईपीपीबी में भी हम समान दर्शन साझा करते हैं। एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट वाले तथा इससे उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से घिरे एक वर्ष में, हमारे कर्मचारियों ने अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और जोश के साथ कामम करना जारी रखा। महामारी न केवल विपरीत परिस्थितियों में हमारे कर्मचारियों के लचीलेपन और ताकत को सामने लेकर आई, बल्कि हमारे विश्वास को फिर से सुदृढ़ बनाया कि संगठन के निरंतर और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिबद्ध कार्यबल होना महत्वपूर्ण है।

तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में, हम सीखने, कौशल, योग्यता और प्रतिभा के सही संयोजन के साथ मजबूत मानव पूंजी की आवश्यकता को समझते और स्वीकार करते हैं। बैंक के मानव संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कई पहल आरंभ किए जो संगठन में दक्षता बढ़ाने और सहभागी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल की आकांक्षाओं के अनुरूप थे। ये पहल मानव संसाधन प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने, कोविड–19 संकट के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों और प्रभावशाली/राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के इर्द गिर्द घूमती हैं।

1. **आईपीपीबी–डीओपी समन्वय बैठकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म** आईपीपीबी–डीओपी समन्वय बैठकों के कार्यवृत्तों को वास्तविक समय में रिकॉर्ड करने और आईपीपीबी की 650 शाखाओं, 450 प्रभागों तथा डीओपी के 23 सर्किलों में कार्रवाई क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक स्वचालित विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसे डीओपी एवं आईपीपीबी के वरिष्ठ कार्मिकों से विस्तृत आवश्यकताओं को लेने के बाद आरंभ किया गया।

2. **निवारण** : सभी कर्मचारी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्व–निर्धारित टीएटी और स्वचालित वृद्धि तथा विचलन प्रलेखन क्षमताओं के साथ निवारण नामक एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र आरंभ किया गया।

3. **डाकियों/जीडीएस के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप** : 300,000 से अधिक डाकियों और जीडीएस को अधिकारसंपन्न बनाने तथा उनके कौशल निर्माण के लिए, जीवन और साधारण बीमा, चाइल्ड एनरॉलमेंट लाइफ क्लाइंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन प्रमाणन आदि जैसे उत्पादों पर स्व–शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों के साथ एक डिजिटल प्रशिक्षण ऐप डेवलप किया गया है। ऐप को उपयोगकर्ता आसानी से अपने मोबाइल पर ऐक्सेस कर सकते हैं। ऐप न डाकियों और जीडीएस को विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के अनुसार प्रमाणित होने और विभिन्न वित्तीय उत्पादों/सेवाओं की विशेषताओं, लाभों और फायदों के बारे में जानने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

कर्मचारी भागीदारी

बैंक ने कार्यकलापों की एक श्रृंखला के जरिये कर्मचारियों के साथ जुड़ने पर अपना फोकस बनाये रखा।

आईपीपीबी की दूसरी वर्शगांठ मनाना : आईपीपीबी ने सभी 650 शाखाओ में महीने भर चलने वाले कार्यकलापों के साथ अपनी दूसरी वर्षगांठ वीडियो कांफ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी की लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग करते हुए मनाई जिनमें शामिल हैं –क्विज, आईपीपीबी गॉट टैलेंट, फैमिली टैलेंट शो, गायन प्रतियोगिता हिन्दी पखवाड़ा आदि।

महिला दिवस समारोह : नारीत्व की शक्ति तथा आईपीपीबी के विकास तथा सफलता में उनके बराबर के योगदान का समारोह मनाते हुए, कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ 8 मार्च से 13 मार्च तक सप्ताह भर चलने वाला 'नारी शक्ति सप्ताह' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न वर्गों में हमारी महिला कर्मचारियों को 'नारी शक्ति पुरस्कार' प्रदान किए गए।

विपणन एवं संचार

एकता, समानता, समावेश सेवा और विश्वास का प्रतीक यह इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि डिजिटल लेन-देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पोस्ट पैम्नेट्स बैंक के उद्घघाटन पर सितम्बर १, २०१८

वितीय वर्ष 2020–21 सबसे विघटनकारी घटनाओं में से एक का गवाह रहा है जिसका सामना मानव जाति को कोविड–19 द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि महामारी ने कंपनियों को उद्योगों में उपलब्धियों और क्रांतिकारी सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने का अवसर भी प्रदान किया। विपणन एवं विपणन करने वालों के लिए, महामारी फिर से रणनीति बनाने, ग्राहकों के साथ जुड़ने, ब्रांड वफादारी, मीडिया के साथ जुड़ने आदि का समय भी रहा है। लॉकडाउन एवं असी प्रकार के अन्य प्रतिबंधों के बीच, आईपीपीबी ने न केवल शाखाओं और बैंकिंग पहुंच बिन्दुओं के निर्बाध रूप से काम करने के साथ अपनी सेवाओं में निरंतरता बनाये रखी, बल्कि यह सोशल मीडिया तथा अन्य पारंपरिक एवं नए मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापक रूप से उपयोग कर जागरूकता पैदा करने और उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला को बढ़ावा देने में भी सक्षम रही।

बैंक के लांच होने के बाद से ही, विपणन और संचार टीम का यह सतत प्रयास रहा है कि विभिन्न विभागों के साथ मिल कर काम किया जाए जिससे बिना बैंकिंग की पैठ वाले तथा कम सेवा वाले बाजारों, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक बनाने तथा वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखने और सभी टचप्वाइंट्स में सही ब्रांड अनुभव प्रदान करने पर फोकस के साथ पूरे भारत में ब्रांड आईपीपीबी को सुदृढ़ बनाया जा सके। बैंक की ब्रांडिंग, विपणन और संचार रणनीति पारंपरिक और नए मीडिया का मिश्रण है जिसका यह ग्राहकों के अनुभव तथा ब्रांड की प्रमुखता को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है।

प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, भारत बिल भुगतान सेवा, डाकपे यूपीआई, यूपीआई और रूपे के साथ आईपीपीबीआई मोबाइल बैंकिंग, वर्चुअल डेबिट कार्ड और जीवन बीमा जैसे नए उत्पादों एवं सेवाओं के लांच में सहायता करने के लिए कई विपणन पहलें आरंभ की गई

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
India Post Payments Bank
UPI empowers me to receive & send money,
make merchant payments & do online shopping
Easily, Safely & Instantly!
DakPay
UPI

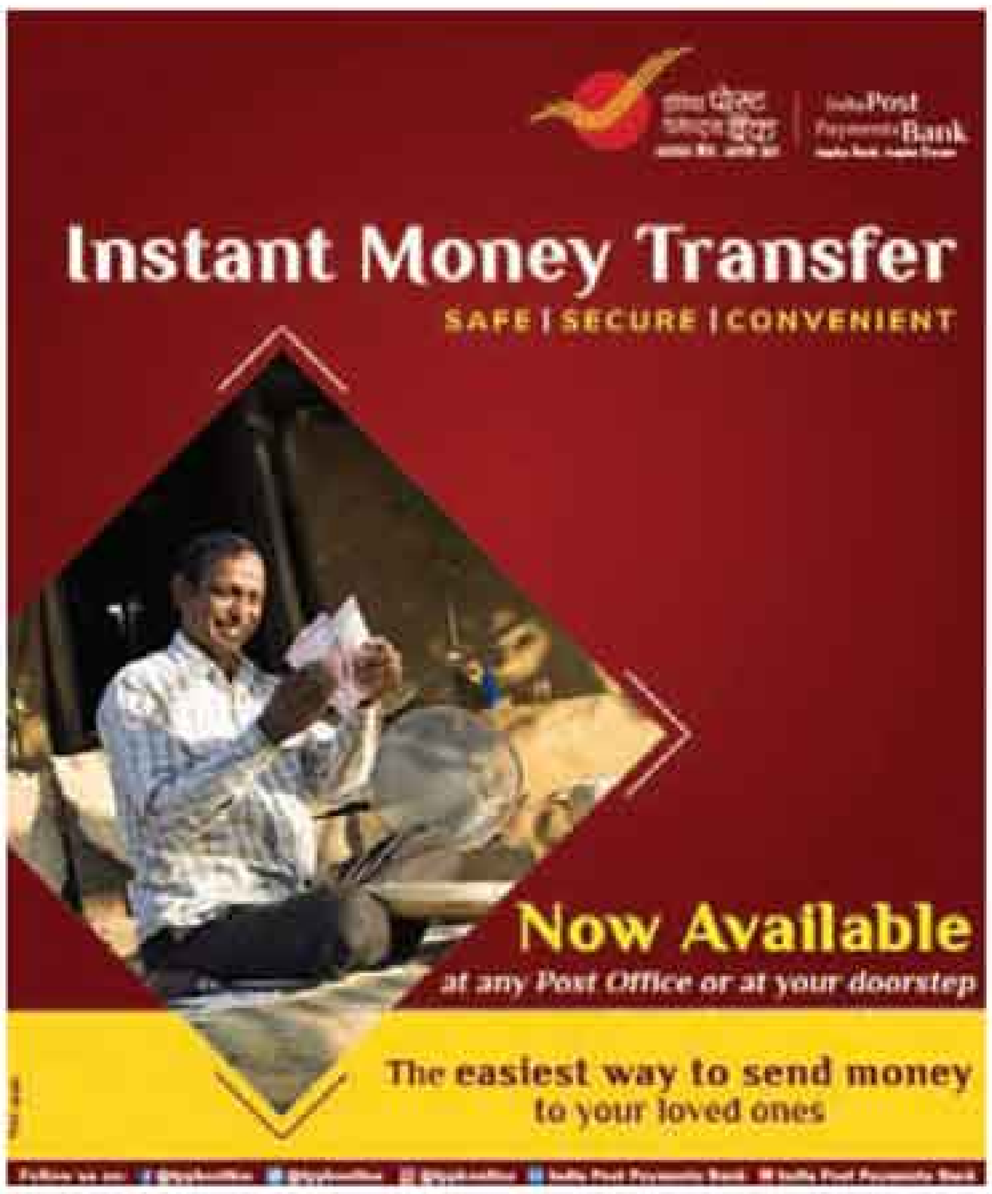
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
India Post Payments Bank
Instant Money Transfer
SAFE | SECURE | CONVENIENT
Now Available
at any Post Office or at your doorstep
The easiest way to send money
to your loved ones

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
India Post Payments Bank
JEEVAN PRAMAAN
DIGITAL LIFE CERTIFICATE
Pensioners
need not go to
Bank Branches to
give Life Certificate
To avail the facility contact Postman/Grameen Dak Sevak or
place your request for doorstep service on Post Info App

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
India Post Payments Bank
LAUNCHING SOON
DakPay
UPI
UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
The future of payments
Join the Cashless Revolution!

व्यवसाय विकास–उद्यम एवं सरकार

वित वर्ष 2020–21 के दौरान आईपीपीबी की बीडीईजी टीम ने आम लोगों के लिए ग्राहक केंद्रित और डिजिटल रूप से संचालित उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए सरकारी और निजी उद्यमों के साथ कई बैठकों की अगुवाई की। विभिन्न सेवाओं, विशेष रूप से द्वार पर बैंकिंग और एईपीएस का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण ग्राहक खंड का निर्माण करने वाले डीबीटी लाभार्थियों के साथ, बीडीईजी यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात –हमारे ग्राहकों को सरल, सहज और नवोन्मेषी समाधानो के जरिये निर्बाध रूप से बैंकिंग अनुभव प्राप्त होता रहे, सभी सरकारी और निजी सेक्टर में विभिन्न हितधारकों के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करता रहा है।

प्रमुख साझीदारियां

- आईपीपीबी ने पहल और पीएमयूवाई लाभार्थियों, जिनके पास बैंक खाता नहीं है, को बैंक की सेवा उपलब्ध कराने के लिए **एचपीसीएल** तथा **बीपीसीएल** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आईपीपीबी ने लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए बीपीसीएल/एचपीसीएल के राज्य/जिला कार्यालयों और वितरकों के साथ समन्वय किया।

- आईपीपीबी ने निर्माण श्रमिकों के खाते खोलने और उन्हें वित्तीय मुख्यधारा में लाने के लिए **भारतीय रियल एस्टेट डेवेलपर्स एसोसिएशन ऑफ इडिया के कंफेडेरेशन** के साथ भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। समझौते के हिस्से के रूप में, आईपीपीबी देश भर में निर्माण स्थलों पर कैंप मोड में ऐसे खाते खोलने के लिए ठेकेदारों के साथ संपर्क करेगा।

- आईपीपीबी ने डेयरी दूध खरीद मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने तथा दूध संग्रह केंद्रों पर बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डेयरी टेक स्टार्ट अप स्टेलऐप्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- आईपीपीबी ने डीबीटी के प्रभावी वितरण जैसे नरेगा, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी साझीदारी की है।

रणनीतिक पहलें

सरकारों और कंपनियों के साथ साथ, आईपीपीबी डाकघरों में और नागरिकों के द्वार पर सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न लोगों के अनुकूल पहलों को निष्पादित कर रहा है। 2020–21 के दौरान बीडीईजी की कुछ मुख्य पहलें ये थीं–

- **डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) को सुगम बनानाः** सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, आईपीपीबी ने पेंशनभोगियों को अपने घर के आरामदायक माहौल में या निकटतम डाक घर में अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करने तथा जमा करने में सक्षम बनाया है। यह पहल भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा नेशनल इंफॉर्मेटैक्सि सेंटर की साझीदारी तथा सहयोग के साथ लांच की गई थी। डीएलसी सेवा केवल आईपीपीबी ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि बैंक ***एग्नोस्टिक*** है और सभी पेंशनभोगी जिनके पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण डीएलसी प्लेटफॉर्म पर लाइव है, आईपीपीबी के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। **31 मार्च, 2021 तक, आईपीपीबी ने 430,000 से अधिक पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण की सुविधा प्रदान की थी।**

- **आधार सीडिंग** : डीबीटी लाभार्थियों के लिए पसंदीदा बैंकर बनने के उद्देश्य से, आईपीपीबी ने आधार सीडिंग में सुधार के लिए और साथ ही जनादेशों के तहत खोले गए खातों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए प्रणाली को कार्यान्वित किया है। बैंक ने खाता सीडिंग प्रक्रिया के दौरान आधार पूछताछ में सक्षम बनाया है जिसके कारण डीबीटी सीडिंग विफलताओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है जिससे लाभार्थियों को अपने आईपीपीबी खातों डीबीटी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। आईपीपीबी ने जनादेश आधारित खाता खोलने को भी सक्षम बनाया है जिससे डीबीटी खाता खोलने के जनादेशों की ट्रैकिंग तथा निगरानी में मदद मिली है।

- **परियोजना दिशा** – यह परियोजना महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में अकोला, वाशिम औरंगाबाद (बीएच), पटना और वाराणसी के पांच जिलों में शुरु की गई थी ताकि डीओपी नेटवर्क और डाक विभाग और आईपीपीबी की मौजूदा/प्रस्तावित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की संयुक्त ताकत का लाभ उठाया जा सके। इस परियोजना में 25 लाख से अधिक घरों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के हिस्से के रूप में, डीओपी तथा आईपीपीबी टीमों ने आईपीपीबी और डीओपी के मौजूदा उत्पादों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के माध्यम से भुगतान को डिजिटाइज करने, ग्राहक आधार को बढ़ाने और वित्तीय योजना निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

ग्राहक सेवा

किसी भी सेवा संचालित उद्योग, विशेष कर बैंकिंग में ग्राहक सेवा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में भी काम कर रहा है। शाखाओं के विशाल नेटवर्क, लाखों ग्राहकों, उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रेणी और विविध संस्थागत ढांचे के साथ, भारत में बैंकिंग कार्यों की विशालता और जटिलता अनिवार्य रूप से ऐसे परिदृश्यों की ओर ले जाती है जहां बैंक सेवा मानक स्तरों को पूरा करने में असमर्थ हैं जो विभिन्न कारकों के कारण ग्राहक अपेक्षा करते हैं।

ग्राहकों को उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ कुशल सेवा प्रदान करना निरंतर व्यवसाय वृद्धि करने के लिए बैंक की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। आईपीपीबी में, ग्राहकों की जरुरतों का अनुमान लगाकर और सेवा मानकों में से किसी भी संभावित अंतराल या कमियों की पहचान करके कर्व से आगे रहने का हमारा निरंतर प्रयास है। हमारा ग्राहक सेवा दृष्टिकोण निरंतर जुड़ाव के माध्यम से ग्राहकों की जरुरतों को समझने और ऐसे समाधान प्रदान करने से प्रेरित है जो न केवल उनकी जरुरतें पूरी करते हैं बल्कि उनकी अपेक्षाओं से अधिक हैं। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाते हुए, आईपीपीबी में एक **ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निवारण नीति** है जिसका उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि के लिए सभी परेशानियों/शिकायतों का समय पर समाधान करना है।

निवारण तंत्र को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, बैंक के पास कॉरपोरेट कार्यालय/सर्किल कार्यालय/शाखा/ग्राहक सेवा बिंदु पर एक संरचित प्रणाली है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तुत किया गया समाधान उचित और निष्पक्ष है और नियमों तथा विनियमनों के ढांचे के भीतर है। आईपीपीबी ने प्रमुख ग्राहक सेवा क्षेत्रों की निगरानी के लिए ढांचा तैयार किया है। ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करने और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए, मासिक आधार पर शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। कॉरपोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर होती है ताकि ग्राहक से संबंधित मामलों की समीक्षा की जा सके और उनका समाधान किया जा सके तथा निरंतर आधार पर सुधार के लिए कदम उठाये जा सकें।

ग्राहक सेवा बोर्ड की समिति की बैठक निरंतर आधार पर बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए होती है और ग्राहक सेवा स्थायी समिति के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए द्विवार्षिक बैठक होती है।

आईपीपीबी द्वारा 2020–21 के दौरान सेवा के मुद्दों का हल करने और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए उठाये गए कुछ कदम हैं :

- नोएडा, चेन्नई और कोलकाता में संपर्क केंद्रों ने ग्राहकों को आईवीआर और इनबाउंड तथा आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से 13 भाषाओं में 24X7X365 सहायता प्रदान करना जारी रखा। ये केंद्र अनधिकृत डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने, पूछताछ या शिकायतों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए सुसज्जित है।
- आईपीपीबी ने गुणवत्ता स्कोर कार्ड में निरंतर सुधार किया, जो ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है। 2020–21 के दौरान, 99.08 प्रतिशत शिकायतों का समाधान 2.63 दिनों के टर्नअराउंड समय के साथ किया गया।
- मोबाइल के माध्यम से द्वार बैंकिंग और बैंकिंग को ग्राहकों तथा गैर–ग्राहकों के लिए आसान बना दिया गया है। जिसमें पीएसपी ऐप्लीकेशन और अन्य सेवाओं के साथ मौजूदा कई बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प और कार्यात्मकताएं (नामांकन पंजीकरण) शामिल हैं। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए पीएसपी और मौजूदा मोबाइल ऐप्लीकेशन को नई सुविधाओं के साथ बढ़ाया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (1 अप्रैल, 2020 तक बकाया 590 सहित) 14,582 थी। इनमें से 14,323 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि 1 अप्रैल 2021 तक 259 शिकायतें बकाया रहीं।

क्रम संख्या	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्श के लिए
आईपीपीबी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,352	590
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	72,969	13,992
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	खारिज शिकायतों की संख्या	73,731	14,323
			0	
4		वर्ष के अंत में बकाया शिकयतो की संख्या	590	259
आईपीपीबी द्वारा ओबीओ से प्राप्त रखरखावयोग्य शिकायतें				
5	ओबीओ से प्राप्त रखरखावयोग्य शिकायतों की संख्या		0	45
		आईपीपीबी द्वारा ओबीओ के पक्ष में समाधान शिकायतों की संख्या	0	44
		ओबीओ द्वारा जारी सुलहों/मध्यस्थों/परामर्शियों के जरिये समाधान शिकायतों की संख्या	0	1
		आईपीपीबी के विरुद्ध बीओ द्वारा अवार्ड पारित किए जाने के बाद समाधान	0	0
6		निर्धारित अवधि के भीतर कार्यान्वित न होने वाले अवार्डों की संख्या (जिन्होंने अपील की, उनके अतिरिक्त)	0	0

- खुली हुई सभी 259 शिकायतें आज की तारीख तक बंद हो चुकी हैं।
- जहां समग्र ग्राहक आधार बढ़ा है, प्राप्त होने वाली शिकायतों में गिरावट आई है। वित वर्ष 2019–20 के लिए ग्राहकों की शिकायतों की संख्या का अनुपात जहां 0.028 प्रतिशत था, 31 मार्च, 2021 को यह 0.007 प्रतिशत था।

सूचना और साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी ने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान प्रस्तुत करने के लिए परिष्कृत तकनीक अपनाई है। हालांकि, नवीनतम तकनीकों के साथ सूचना और साइबर सुरक्षा खतरों का जोखिम होता है। इसलिए बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सूचना परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करें और यह सुनिश्चित करे कि सुचारू और निरंतर बैंकिंग परिचालन के लिए संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए।

आईपीपीबी में तैनात सूचना सुरक्षा नियंत्रण का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर खतरों को रोकने तथा रिस्पांड करने, कमजोरियों को कम करने और विभिन्न सुरक्षा/साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना है। 2018 में बैंक की स्थापना के बाद से यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है कि सूचना और साइबर सुरक्षा प्रक्रियाओं को उद्योग मानदंडों के अनुरूप बनाया जाए।

साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी का विश्वास है कि तेजी से डिजिटलीकरण, लेनदेन की संख्या में तेज वृद्धि और नेटवर्क तथा परितंत्रों से कनेक्टिविटी को देखते हुए साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम फोकस क्षेत्र है। बैंक और ग्राहकों की संपत्ति की रक्षा करना और सभी हितधारकों का निरंतर विश्वास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

आईपीपीबी में, बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए सूचना सुरक्षा तंत्र के केंद्र में गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता तीनों है। ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, गैंक साइबर सुरक्षा समाधानों को कार्यान्वित करते हुए 'गहन सुरक्षा' दृष्टिकोण का पालन करता है। यह दृष्टिकोण ऐसे साधनों एवं तकनीकों, जो एक दूसरे के पूरक और संवर्धक हैं, का उपयोग कर एक बहु स्तरीय सुरक्षा तंत्र के प्रयोग से बैंक को अपने आंकड़ों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है।

बैंक ग्राहक तत्वों जैसे फिशिंग से सुरक्षा, अनुकूलित प्रमाणीकरण, जागरूकता पहलों और सबसे ग्राहकों के हाक्स में सहज उपयोग संरक्षा और जोखिम विन्यास क्षमता पर भी बल देता है।

सूचना सुरक्षा एवं साइबर जोखिम प्रबंधन

एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित **साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा नीति** लागू है जो विभिन्न सुरक्षा संबंधी पहलों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है। बैंक के पास **साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी)** भी है जो साइबर खतरे को कम करने की दिशा में रणनीति, दिशा और रोडमैप प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा प्रशासन बैंक के सूचना सुरक्षा संरचना का हिस्सा है।

औपचारिक कार्य क्षेत्रों के साथ सूचना सुरक्षा समिति के रूप में ज्ञात बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संचालन समिति का गठन किया जातता है। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति एक प्रभावी संचार माध्यम के रूप में काम करती है और बैंक के प्रबंधन के साइबर सुरक्षा उद्देश्यों और निर्देशों की समग्र दिशा के लिए मार्गदर्शन करती है। समिति सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं के विकास तथा सुविधा एवं कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी भी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पहचाने गए जोखिमों का प्रबंधन बैंक की जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

आईपीपीबी ने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) ई द्वारा निरंतर 24 घंटे निगरानी की जाती है और यह उभरते साइबर खतरों की नवीनतम प्रकृति पर नियमित रूप से अपडेट रहता है। बैंक वास्तविक समय के आईटी वातावरण में सुरक्षा कार्यक्रमों या घटनाओं की पहचान, निगरानी, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा घटना और घटना प्रबंधन निगरानी उपकरण का उपयोग कर रहा है।

किसी भी प्रकार के साइबर हमले का प्रबंधन करने के लिए, आईपीपीबी ने विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों से निपटने के लिए उन्नत सुरक्षा समाधान स्थापित किया है और विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करने के लिए व उन्नत निरंतर खतरा विरोधी समाधान, सर्वर संरक्षा समाधान, नेटवर्क संरक्षा समाधान आदि कार्यान्वित किए है। आईटी सिस्टम्स में कमजोरियों, यदि कोई हो, का आकलन करने और इन कमजोरियों को कम करने तथा जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक त्रैमासिक निर्बलता आकलन अभ्यास किया जाता है और जोखिमों को प्रबंधित किया जाता है।

आईपीपीबी के पास पूरी तरह से सुसज्जित आपदा रिकवरी सेट–अप है जो आवधिक रिकवरी ड्रिल द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, नए अनुप्रयोगों को शामिल करते समय कड़े नियंत्रणों का पालन किया जाता है। बदलते साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के आधार पर, बैंक ने एक साइबर–बीमा नीति प्राप्त की है जिसकी हर साल समीक्षा और नवीनीकरण किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो नए जोखिम क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बैंक अपने रिस्पांस तंत्र को लगातार सुदृढ़ करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास भी आयोजित करता है और उसमें भाग लेता है।

कर्मचारियों को नवीनतम सुरक्षा खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अद्यतन रखा जाता है। बैंक अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल/लर्निंग पोर्टल वेबसाइट/आदि जैसे विभ्न्नि चैनलों के माध्यम से लगातार साइबर सुरक्षा जागरुकता प्रदान करता है।

सीआईएसओ का कार्यालय और सिस्टम इंटीग्रेटर जोखिम प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ कार्य संबंध बनाये रखते हैं। आईपीपीबी नियमित रूप से आंतरिक और साथ ही बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा विशिष्ट विषयगत असाइनमेंट और नियामकों के माध्यम से सुरक्षा दृष्टिकोण की लगातार जांच करने और इसके नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अपनी सुरक्षा के कई मूल्यांकन से गुजरता है।

महामारी के दौरान

कोविड–19 के प्रकोप तथा बैंकिंग के एक अनिवार्य सेवा के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद, आईपीपीबी ने सुरक्षित कार्य–घर–प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण गतिविधियों की व्यवस्था की है। इन समाधानों को लागू करते समय, सूचना सुरक्षा के लिए उपयुक्त नियंत्रण भी लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को घर से काम करते समय क्या करें और क्या न करें, इस बारे में विस्तृत सलाह जारी की गई है। सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं पर नियमित संचार के साथ इसका पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों की डब्ल्यूएफएच सुविधा से संबंधित लॉग की लगातार निगरानी करने और किसी भी असामान्य घटना के मामले में अलर्ट उत्पन्न करने के लिए बैंक के सातों दिन 24 घंटे (एसओसी) पर अतिरिक्त निगरानी मापदंडों को भी कॉन्फिगर किया गया है।

निदेशक मंडल

श्री विनीत पांडेय
अध्यक्ष, आईपीपीबी

श्री जे. वेंकटरामू
प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईपीपीबी

श्रीमती अनंदिता सिन्हाराय
नामित निदेशक

श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक

श्री पवन कुमार सिंह
नामित निदेशक

2020–21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- **24 मार्च** — सीएमएस के लिए महिंद्रा रुरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ करार
- **4 फरवरी** — 10,000 करोड़ रुपये के एईपीएस ट्रांजेक्शन
- **30 जनवरी** — 2,000 करोड़ रुपये की कासा जमाएं
- **27 जनवरी** — एईपीएस ट्रांजेक्शन 4 करोड़ के पार बतवे 4 बत
- **08 जनवरी** — 2,000 करोड़ रुपये के डीबीटी संवितरित

2021

- **31 दिसंबर** — ग्राहकों की कुल संख्या 4 करोड़ंज 4 बत
- **15 दिसंबर** — डाकपे यूपीआई पीएसपी ऐप्लीकेशन लांच किया गया
- **13 दिसंबर** — रूपे वर्चुअल डेबिट कार्ड लांच किया गयाक्मइपज ब्तक संनदबीमक
- **05 दिसंबर** — 50,000 करोड़ रुपये के डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
- **26 नवंबर** — बीबीपीएस की घोषणा की गई
- **19 अक्टूबर** — डीएलसी सेवा लागू की गई
- **17 अक्टूबर** — पीएमजेजेबीवाई लांच की गई
- **10 अगस्त** — 5,000 करोड़ के एईपीएस ट्रांजेक्शन
- **12 जून** — 25,000 करोड़ रुपये के डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन
- **11 जून** — ग्राहकों की कुल संख्या 3 करोड़
- **18 मई** — 1 करोड़ के एईपीएस ट्रांजेक्शन
- **12 मई** — 50 लाख मोबाइल ऐप डाऊनलोड
- **25 अप्रैल** — एईपीएस ट्रांजेक्शनों ने 50 लाख की संख्या छुईजवनबी 50 सीत
- **15 अप्रैल** — एईपीएस ट्रांजेक्शन 1,000 करोड़ के पार हुए
- **10 अप्रैल** — 1,000 करोड़ रुपये की कासा जमाएं

2020

पुरस्कार एवं सम्मान

आईपीपीबी को सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के वर्ग में
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा के लिए
ईटी डिजिटल वैरियर्स अवार्ड 2021 प्रदान किया गया

अध्यक्ष का संदेश

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में, हमारा विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उसके प्रत्येक नागरिक को, भले ही उसकी जीवन शैली कुछ भी हो, समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हो

प्रिय शेयरधारकों

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आपके बैंक के प्रदर्शन और पहल की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। आईपीपीबी के विकास और उद्भव में, 2020–21 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि बैंक ने महामारी द्वारा पेश की गई दुर्गम चुनौतियों के बावजूद अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना जारी रखा है।

यह हमारा विश्वास रहा है कि वित की पहुंच का लोगों और समुदायों, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों जहां वित की बहुत कम या कोई सुविधा नहीं है, के जीवन पर रूपांतरकारी प्रभाव पड़ता है। इन लोगों की उल्लेखनीय रूप से एक बड़ी संख्या के लिए, डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) अंतिम मील पर विभिन्न वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद माध्यम हैं जिसने आईपीपीबी को उनके लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बना दिया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला आरंभ की है जिसमें न केवल साधारण बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं, डाकघरों में ऋण पुनर्भुगतान जमा करने की क्षमता और प्रवासी मजदूरों को अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाई गई नकदी को अपने परिवारों के खातों में हस्तांतरित करने में सक्षम बनाने की क्षमता है बल्कि पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाएं भी शामिल हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में, हमारा विश्वास है कि कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब उसके प्रत्येक नागरिक को, भले ही उसकी जीवन शैली कुछ भी हो, समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हो। सरल, विविध और विकासोन्मुख प्रस्तुतियों के साथ, आईपीपीबी का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को कुशल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है।

जैसे जैसे हम इस रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, देश के बैंकिंग परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन और बदलाव दिख रहे हैं। मुझे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से हमारे देश में वित्तीय समावेशन के भविष्य को आकार देने की संभावना पर प्रसन्नता हो रही है।

आपको बहुत बहुत धन्यवाद

विनीत पांडेय
सचिव, डाक विभाग और अध्यक्ष, आईपीपीबी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयरधारकों

मुझे वित वर्ष 2020–21 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं यह भी आशा और कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार महामारी के इस चुनौतीपूर्ण और कठिन समय में सुरक्षित और स्वस्थ है।

आपके बैंक ने 3 सितंबर, 2021 को सफल प्रचालन के तीन वर्ष पूरे किए। हमारी इस तीन वर्ष की यात्रा के दौरान, हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और जनसंख्या पैमाने पर सेवाएं आरंभ करने की क्षमता के साथ, जो तत्काल देश के किसी भी कोने में पहुंच सकती है, देश भर में सबसे बड़े बैंकिग अवसंरचना की स्थापना की है। हम किसी भी घर के 5 किमी के भीतर एक पारस्परिक बैंकिंग पहुंच बिन्दु रखने तथा 43 करोड़ से अधिक जनधन खाताधारकों सहित किसी भी बैंक ग्राहक के लिए वैकल्पिक पहुंच सृजित करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम रहे हैं।

किसी विरासती संस्थान की बुनियादों पर प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम बैंक की स्थापना करना कोई सरल कार्य नहीं है। हमने एक ऐसे संस्थान का निर्माण किया है जिसमें लाखों लोगों के जीवन को रूपांतरित तथा प्रभावित करने की क्षमता है। हमारा सहायताप्राप्त नेटवर्क किसी भी बैंक के ग्राहकों को निकासी और जमा करने के लिए अपने बैंक खाते तक पहुंचने, उनकी ऋण किस्त और बिलों का भुगतान करने, आधार के साथ लिंक्ड उनके मोबाइल नंबर को अपडेट करने और पेंशन के लिए उनका जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की सेवा प्रदान करने में सक्षम है।

कठिन प्रचालन वातावरण के बावजूद, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित वर्ष 2020–21 के दौरान बैंक का राजस्व तीन गुना बढ़ गया जबकि इसके कासा बैलेंस में 177 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि के दौरान इसने लगभग 2 करोड़ खाते भी खोले। सरल शब्दों में कहें तो हर 2 सेकेंड में एक खाता खोला जा रहा है।

जैसाकि हमने एकजुट रह कर इस यात्रा को जारी रखा है, यह एक उपयुक्त समय है कि हम अपने कोरोना योद्धाओं (वैरियर्स) की प्रतिबद्धता को सम्मानित करें जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता।

इस वर्ष हम एक यूनिवर्सल डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म का निर्माण करने की दिशा में कई पहल करने की उम्मीद करते हैं जो हमारे ग्राहकों के लिए उनके द्वार पर डिजिटल वित्तीय सेवा की प्रदायगी का अनुभव करने के लिए हमारे निरंतर विकास और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। डाक विभाग के साथ गहरा एकीकरण, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार, निरंतर जोखिम शमन उपायों द्वारा समर्थित परिसंपत्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का सुदृढ़ीकरण और लोगों का रूपांतरण फोकस किए जाने वाले कुछ क्षेत्र हैं और बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एजेंडा की शीर्ष पर है। अपने डिजिटल रूपांतरण एजेंडा के अनुरूप, आईपीपीबी बाजारों, सेगमेंटों और क्षेत्रों में ग्राहकों की उभरती और आकांक्षापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जब हम अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक से गुजर रहे हैं, आइये हम उन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए खुद को समर्पित कर दें जिन्हें हमने बैंक के लिए निर्धारित किए हैं और डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान दें और इस प्रकार प्रत्येक नागरिक के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करें।

स्वीकृति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे मूल्यवान शेयरधारक के रूप में आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह हमें हमारे सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और आपके तथा राष्ट्र के लिए भी मूल्य का सृजन करता है। मैं भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग से प्राप्त निरंतर समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की सराहना करता हूं।

नमस्कार

जे. वेंकटरामू
प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आईपीपीबी

निदेशक की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के सहित कंपनी ("आईपीबीबी) की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित है :

राशि रुपये में

	वित्तीय वर्ष समाप्त	वित्तीय वर्ष समाप्त
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कुल राजस्व	2,13,13,15,740	54,76,23,537
कुल व्यय	5,33,67,54,617	3,88,77,57,578
असाधारण मदें पूर्व अवधि व्यय	-	-
निवल लाभ/निवल हानि	**(3,20,54,38,877)**	**(3,34,01,34,041)**
तुलन पत्र में ले जाई गई भोश राशि	**(5,00,89,55,059)**	**(1,64,40,97,989)**
आमेलन के लिए उपलब्ध लाभ	**(8,21,43,93,936)**	**(4,98,42,32,030)**
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	**(3.04)**	**(4.00)**
प्रति शेयर अर्जन (डायलुटेड)	**(3.04)**	**(4.00)**
भारत सरकार की शेयरधारिता (:)	**100%**	**100%**

निशपादन की मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण

इस अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कुल राजस्व रु. 2,13,13,15,740 तथा कुल व्यय रु. 5,33,67,54,617 रिकॉर्ड किया गया। वर्ष के दौरान, कुल हानि रु. 3,20,54,38,877 है। पिछले वर्ष कंपनी को रु. 3,34,01,34,041 की हानि हुई थी।

सार्वजनिक जमा राशि

(रु. 000 में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	2000
बैंक की कुल जमाराशिओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशिओं की प्रतिशतता	00.0087%	00.02%

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा बचत जमाराशिआं स्वीकृत, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (1) लागू नहीं होगी।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक सुनिश्चित करते हैं कि,

- वार्षिक लेखों को लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है,
- सुसंगत आधार पर चयनित तथा लागू की गई लेखांकन नीतियां, कंपनी के मामलों एवं वित्तीय वर्ष के लाभ के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है,
- कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पहचान के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है,
- वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर बनाया गया है,
- सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से परिचालित थीं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (एफआरएन–000517एन) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड रिपोर्ट में परिशिष्ट सी के रूप में संलग्न हैं।

साचिविक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014

के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ साथ इस रिपोर्ट में परिशिष्ट सी के रूप में संलग्न हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं तथा इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल द्वारा 19 जनवरी, 2017 को कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अनुमोदित किया गया। अभी तक कंपनी पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है और इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है। निदेशक मंडल प्रत्यक्ष के साथ साथ, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में केंद्रित अधिशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निदेशकों के परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए निर्दिश्ट संख्या

बोर्ड की बैठकों के लिए सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक होगा, बशर्ते कि उसमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो।

31 मार्च, 2021 को कंपनी का निदेशक मंडल :

क्रम संख्या.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	प्रदीप्त कुमार बिसोई	अध्यक्ष एवं निदेशक	03/01/2020
2.	अनंदिता सिंहारे	नामित निदेशक	28/07/2020
3	के संध्या रानी	नामित निदेशक	27/01/2021
4	जे वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29/10/2020
5	संजय प्रसाद	नामित निदेशक	05/12/2018
6	विष्णु रामप्रताप दुसाद	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018
7	पिल्लरीसेट्टी सतीश	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से रिपोर्ट तिथि तक, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया :

क्रम संख्या.	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	वी ईश्वरन	अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01/08/2020
2.	जे वेंकटरामू	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	29/10/2020
3	अनंदिता सिंहारे	नामित निदेशक	28/07/2020
4	के संध्या रानी	नामित निदेशक	27/01/2021
5	विनीत पांडेय	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	09/06/2021

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से आज की तिथि तक, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नहीं रहे।

क्रम संख्या.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्याग पत्र की तिथि
1	कृष्ण गोपाल करमाकार	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017	01/11/2020
2	गौरी शंकर	स्वतंत्र निदेशक	28/06/2017	16/10/2020
3	वी ईश्वरन	अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01/08/2020	29/10/2020
4	सुषमा नाथ	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018	31/01/2021
5	मनीषा सिन्हा	नामित निदेशक	06/08/2019	21/01/2021
6	पी के बिसोई	निदेशक एवं चेयरमैन	03/01/2020	30/04/2021
7	विष्णु प्रसाद दुसाद	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018	29/09/2021
8	पिल्लरसेट्टी सतीश	स्वतंत्र निदेशक	30/01/2018	29/09/2021

निम्नलिखित व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट की अवधि के दौरान केएमपी के रूप में पदनामित किया गया :

क्रम संख्या.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1.	वी ईश्वरन	अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01/08/2020
2.	जे वेंकटरामू	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	29/10/2020
3	सीमा सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी	30/04/2019
4	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की निम्न पांच (5) बैठकें हुईं :

बोर्ड की 36वीं बैठक, 21 जुलाई, 2020	बोर्ड की 37वीं बैठक, 19 अगस्त, 2020	बोर्ड की 38वीं बैठक, 13 नवंबर, 2020
बोर्ड की 39वीं बैठक, 05 जनवरी, 2021	बोर्ड की 40वीं बैठक, 16 मार्च, 2021	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या–05)
प्रदीप्त कुमार बिसोई	05 में से 05
कृष्ण गोपाल करमाकार	02 में से 02
गौरी शंकर	02 में से 02
संजय प्रसाद	05 में से 02
विष्णु राम प्रसाद दुसाद	05 में से 05
पिल्लरसेट्टी सतीश	05 में से 05
सुषमानाथ	04 में से 04
अनंदिता सिंहारे	04 में से 01
मनीषा सिन्हा	04 में से 04
वी ईश्वरन	01 में से 01
जे वेंकटरामू	03 में से 03

समितियां

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट अधिशासन तथा जोखिम प्रबंधन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में नीतिगत महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए निदेशकों और/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न उप–समितियों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित हैं :

1) बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

2) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3) जोखिम प्रबंधन समिति

4) ग्राहक सेवा समिति

5) हितधारक सम्बंध समिति

6) एचआर संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति)

7) बोर्ड की आईटी संचालन समिति

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक एवं दो नामित निदेशक सहित स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच (05) बैठकें हुईं।

लेखापरीक्षा समिति की 16वीं बैठक, 20 जुलाई, 2020	लेखापरीक्षा समिति की 17वीं बैठक, 18 अगस्त, 2020	लेखापरीक्षा समिति की 18वीं बैठक, 05 नवंबर, 2020
लेखापरीक्षा समिति की 19वीं बैठक, 28 दिसंबर, 2020	लेखापरीक्षा समिति की 20वीं बैठक, 05 मार्च, 2021	

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विर्षय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। अन्य के साथ कार्यों की कुछ सूची निम्नलिखित है :

1. कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिशें,
2. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी,
3. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परीक्षण,
4. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन,
5. अंतर–कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा
6. कंपनी के उपक्रमों अथवा आस्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक माना जाए,
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन,
8. सार्वजनिक प्रस्तावों द्वारा जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग तथा संबंधित मामलों की निगरानी,
9. बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुदेशित किए जाने वाले अन्य उत्तरादायित्व

निगरानी प्रणाली

कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति के रूप में एक निगरानी प्रणाली विद्यमान है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें उठाने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि अत्याचार के विरुद्ध तथा सद्भाव से उनके द्वारा किए गए किसी भी व्हिसल ब्लोइंग के लिए उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों की किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने या उसे बाह्य रूप से संभालने के स्थान पर संगठन के अंदर गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करना है।

कंपनी पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जवाबदेही के उच्चतम संभव मानकों के प्रतिबद्ध है। इसमें सद्भाव के साथ चिंता उठा कर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उपाय सम्मिलित हैं। व्हिसल ब्लोअर की इच्छा के अनुसार, कंपनी व्हिसल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखती है, हालांकि व्हिसल ब्लोअर को अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही, जैसा भी शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो, में भाग लेना आवश्यक है। यह प्रणाली एक विस्तृत शिकायत एवं जांच प्रक्रिया प्रदान करती है।

यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को सीधे प्रबंध निदेशक से संपर्क करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना प्रदान करने वाले लोगों की गोपनीयता बनाये रखी जाती है और उनके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था और इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रिति के रूप में मुख्य जोखिम व अनुपालन अधिकारी सम्मिलित हैं। कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य जोखिम एवं प्रतिलाभ के मध्य संतुलन रखना है। इसमें कंपनी के व्यवसायों में जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन का समावेश है। इस नीति के अनुसार, निगरानी और सुधारात्मक कार्यवाही सतत आधार पर की जाती है। समिति के पास बाजार एवं परिचालन जोखिम सहित उचित जोखिम प्रबंधन नीति बनाने, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन व्यवहारों का कार्यान्वयन, विभिन्न जोखिम सीमाओं की स्थापना तथा बैंक की साइबर सुरक्षा की समीक्षा सहित, बैंक के पूर्ण जोखिम प्रबंधन का समग्र दायित्व है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति यथावत कार्यान्वित की है। वर्ष 2020–21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुईं।

7वीं जोखिम प्रबंधन समिति	8वीं जोखिम प्रबंधन समिति
02 सितंबर, 2020	08 दिसंबर, 2020

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक और एमडी तथा सीईओ है। समिति का गठन, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की स्थिति के उपयुक्त तथा उचित मानदंड' के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी बरतने हेतु किया गया। साथ ही, भारत सरकार की दिनांक 30.08.2019 की अधिसूचना के द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के साथ, आरबीआई के 02.08.2019 के मूल निर्देश में विनिर्दिष्ट अनुसार संयोजन के साथ दोनों कार्यों के लिए एकल नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन का दिर्नेश दिया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक (1) बैठक आयोजित हुई।

02 एनआरसी
02 सितंबर, 2020

ग्राहक सेवा समिति

कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में जारी सुधारों को सतत आधार पर बनाये रखने के लिए किया गया। समिति में दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष आमंत्रिति के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी सम्मिलित है। वर्ष 2020–21 के दौरान, ग्राहक सेवा समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुईं।

4थी ग्राहक सेवा समिति	5वीं ग्राहक सेवा समिति
10 अगस्त, 2020	30 मार्च, 2021

एचआर संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति के रूप में ज्ञात)

कंपनी की एचआर संचालन समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा सीईओ तथा विशेष आमंत्रिति के रूप में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सम्मिलित हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, भर्ती सलाहकार समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुईं।

12वीं आरएसी	13वीं आरएसी
02 सितंबर, 2020	31 दिसंबर, 2020

हितधारक संबंध समिति

कंपनी की हितधारक संबंध समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा सीईओ सम्मिलित हैं। समिति हितधारकों की शिकायतों के निवारण की पद्धति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2020–21 के दौरान, इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

आईटी संचालन समिति

बोर्ड की आईटी संचालन समिति का गठन 05 दिसंबर, 2018 को किया गया तथा इसमें दो स्वतंत्र निदेशक, एक नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा सीईओ सम्मिलित हैं। मुख्य तकनीकी अधिकारी समिति में स्थायी आमंत्रित हैं। बोर्ड की आईटी संचालन समिति के मुख्य कार्य हैं :

1. प्रबंधन द्वारा प्रभावी कार्यनीति आयोजना प्रक्रिया की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए आईटी कार्यनीति तथा नीति का अनुमोदन
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी का तकनीकी संगठनात्मक स्वरूप व्यवसायिक स्वरूप के अनुकूल है, प्रतिभा स्रोतों पर सहायता व अनुदेश प्रदान करना।
3. सर्वोत्तम व्यवहार तकनीक कार्यान्वयन पर केंद्रित प्रणालीगत आर्किटेक्चर बनाने के लिए प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करना।
4. नए तकनीक विकल्पों और लागत विवेचनों के समायोजनों के साथ जोखिम तथा लाभ में संतुलन करने हेतु निम्न व्यवसाय मानदंडों पर तकनीक में निवेश का अनुमोदन

अ) नए राजस्व क्षेत्र

ब) ग्राहक अनुभव को बढ़ाना

स) विनियामक अनुपालन

द) प्रक्रिया कुशलता को बढ़ाना

वर्ष 2020–21 के दौरान, आईटी संचालन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुईं।

07वीं आईटीएससी	08वीं आईटीएससी
10 अगस्त, 2020	28 दिसंबर, 2020

स्वतंत्र निर्देशकों की घोशणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक स्वतंत्र निर्देशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूर्ण करता है और बोर्ड के विचार से वे अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों को पूर्ण करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना

आईपीपीबी के सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कंपनी के कार्यात्मक निर्देशकों की नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। आईपीपीबी के कंपनी सचिव व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों और वैयक्तिक निर्देशकों के निश्पादन के संबंध में औपचारिक वार्शिक मूल्यांकन का विवरण

आईपीपीबी के सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक .5.06.2015 को जारी राजपत्र के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

संबद्ध पक्षकार लेनदेन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी संबद्ध पक्षकार संविदा, अनुबंध या लेनदेन नहीं किया गया है, और इसीलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के अनुसार फॉर्म एओसी 2 में संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/अनुबंधों संबंधित विवरण का कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

होल्डिंग एवं सहायक कंपनी

कोई भी होल्डिंग अथवा सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त भोयर पूंजी में परिवर्तन

(I) प्राधिकृत पूंजी : 1,25,50,00,000 इक्विटी भोयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/–

(II) प्रदत्त पूंजी : 1,25,50,00,000 इक्विटी भोयर, प्रत्येक का मूल्य रु. 10/–

इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू

कंपनी ने 22,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयरधारक, भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग, के माध्यम से किया है।

वार्षिक विवरण का निश्कर्श

कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार, 31 मार्च, 2021 के वार्षिक विवरण का निष्कर्ष फॉर्म एमजीटी 9 में तथा जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, अनुबंध ए के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किए गए ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किए गए और इसलिए उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता :

इस रिपोर्ट अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाही करने के लिए संगठन में व्यापक स्तर पर व्यवस्था की है। जानकारी प्राप्त करने में एक नागरिक की सहायता करने एवं सुविधा के लिए आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनमें जानकारी प्राप्त करने और अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुरुप आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रसार का सक्रिय प्रकटीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की कम से कम सहायता लेनी पड़े।

राजभाषा (आधिकारिक भाषा)

आपकी कंपनी आधिकारिक भाषा (राजभाषा हिन्दी) के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए ठोस प्रयास करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियमावली/आदेशों के अनुसार कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सतत बढ़ाने के प्रयास किएजा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, यथा लेखन में सरल एवं बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से दैनिक कार्यालयीन पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में उपलब्ध है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (5) (अपपप) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) क्यू के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता एवं तत्परता तथा विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा विनियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा साथ ही साथ इसकी पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है। प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है।

निवेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच अत्यधिक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कंपनी के कर्मचारियों के विकास हेतु मानव संसाधन पहलें जैसे –कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण एवं उत्पादकता प्रगति महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसलिए किसी रूप में कोई भी भेदभाव और /या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरुप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपके निदेशक पुनः स्पष्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सीएंडएजी और सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा साचिविक लेखापरीक्षकों से मिले अत्यधिक मूल्यवान सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के मूल्यवान योगदान, कड़ी मेहनत तथा समर्पण के लिए भी निदेशक गण धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का विश्वास है कि कर्मचारियों के अनवरत एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने एवं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी।

परिशिश्टः निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

1. कंपनी का 'वार्षिक विवरण का निष्कर्ष' इस रिपोर्ट के अनुबंध–ए के रूप में संलग्न है।
2. कंपनी की 'साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट' इस रिपोर्ट के अनुबंध–बी के रूप में संलग्न है।
3. कंपनी की 'स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और परिशिष्ट' के अनुबंध–सी के रूप में संलग्ग्न हे।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 'वार्षिक लेखे' इस रिपोर्ट के अनुबंध–डी के रूप में संलग्न है।
5. 'कैग लेखापरीक्षा रिपोर्ट' अनुबंध–ई

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/12/2021

विनीत पांडेय
अध्यक्ष
डिन–09199133
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग,
नई दिल्ली–21

जे. वेंकटरामू
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डिन–08918442
प्लॉट नंबर. 169,
सीबीआर कृष्णा वेणी इंकलेव
याप्राल, तिरुमलगिरि,
हैदराबाद, 500087

अनुबंध –ए
फार्म संख्या एमजीटी. 9
वार्षिक विवरण का निष्कर्ष

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार)

i) पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i) सीआईएन	U74999DL2016GOI304561
ii) पंजीकरण तिथि	17 अगस्त, 2016
iiii) कंपनी का नाम	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ संघ सरकार की कंपनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मार्केट रोड, नई दिल्ली –110001
vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है ?	नहीं (कंपनी के शेयर अमूर्त रूप में धारित हैं)
vii) पंजीयक तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क विवरण	एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड सीआईएन U74999DL2016GOI304561 पता : 4थी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013

ii) कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का वर्णन किया जाएगा:

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	पेमेंट्स बैंक	ग्रुप 649	100 प्रतिशत

iii) होल्डिंग, सहायक एवं एसोसिएट्स कंपनियों का विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ एसोसिएट्स	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1.	लागू नहीं				

iv) शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के अलग अलग आंकड़े)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान : परिवर्तन	वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान : परिवर्तन
	भौतिक	डीमैट	कुल	कुल शेयरों का :	भौतिक	डीमैट	कुल	कुल शेयरों का :
ए. प्रवर्तक								
1) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–
a) वैयक्तिक/एचयूएफ (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	–	6	6	.015%	.	6	6	.01%
b) इद्ध केंद्र सरकार/ राज्य सरकारें		1034999994	1034999994	99.99%	.	1255999994	1255999994	99.99%
c) निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–
d) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
e) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (ए) (1).	–	–	–	–	–	–	–	–
2) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–
a) एनआरआई–वैयक्तिक	–	–	–	–	–	–	–	–
b) अन्य–वैयक्तिक	–	–	–	–	–	–	–	–
c) निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–
d) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
e) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (ए) (1).	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए) (1) + (ए) (2)	–	1035000000	1035000000	100	–	1255000000	1255000000	100
बी. सार्वजनिक शेयरधारिता	–	–	–	–	–	–	–	–
1) संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
a) म्युचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–
b) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
c) केंद्र सरकार/राज्य सरकारें	–	–	–	–	–	–	–	–
d) जोखिम पूंजी निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–
e) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–
f) एफआईआई	–	–	–	–	–	–	–	–
g) विदेशी जोखिम पूंजी निधिया	–	–	–	–	–	–	–	–

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान : परिवर्तन	वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान : परिवर्तन
i) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (बी) (1) :–	–	–	–	–	–	–	–	–
2) गैर–संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–
a) निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–
b) वैयक्तिक	–	–	–	–	–	–	–	–
i) रु. 1 लाख तक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक ii) रु. 1 लाख से अधिक धारित अधिकृत शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक	–	–	–	–	–	–	–	–
c) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
i) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) निदेशक	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) गैर निवासी भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–
v) विदेशी निगमित निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) समाशोधन सदस्य	–	–	–	–	–	–	–	–
vii) ट्रस्ट	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (बी) (2):–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)= (बी) (1)+(बी) (2) (ए) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–
c) जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (ए + बी + सी)		1035000000	1035000000	100	–	1255000000	1255000000	100

भारत के राष्ट्रपति के नामिती के रूप में 6 व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक 01 शेयर धारित करता है।

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता (इक्विटी)

इक्विटी

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गए/ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधक रखे गए/ऋणग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में % परिवर्तन
1	डाक सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,03,50,00,000*	100	69,99,99,994*	1,25,50,00,000*	100	–	–
2	अजय कुमार रॉय (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
3	बी. पी. श्रीदेवी (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
4	सचिन किशोर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
5	टी. क्यू मोहम्मद (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
6	विनीत माथुर (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
7	आलोक पांडे (भारत के राष्ट्रपति के नामिती)	1	0.000	1	1	0.000	–	–
	कुल	1,03,50,00,000	100	–	1,25,50,00,000	100	–	–

*भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) :

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	1,03,50,00,000	100		
	अधिकार निर्गम द्वारा वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि	22,00,00,000			
	वर्ष की समाप्ति पर	1,25,50,00,000*	100		
	योग	1,25,50,00,000*	100		

* भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 06 इक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयर धारित स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अतिरिक्त अन्य) :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का :	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का :
1	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे–आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेद इक्विटी इत्यादि) को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iv) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम संख्या		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1	शून्य	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों की संख्या का %
	वर्ष के प्रारंभ में	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान अंतरण	–	–	–	–
	वर्ष की समाप्ति पर	–	–	–	–

v) ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया/उपचित, किंतु भुगतान हेतु देय नहीं, ब्याज सहित

	जमा राशिओं के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशिआं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	– – –	– – –	– – –	– – –
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी	– –	– –	– –	– –
निबल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता (i) मूलधन (ii) देय किंतु भुगतान नहीं किया गया ब्याज (iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	– – –	– – –	– – –	– – –
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूका. निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	श्री वी. ईश्वरन	81.66 लाख
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	स्वेद इक्विटी	–	–
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में अन्य, उल्लेख करें ...	–	–
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्य निष्पादन प्रोत्साहन)	–	–

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूका. निदेशक/प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	श्री जे वेंकटरामू	21.65 लाख
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	स्वेद इक्विटी	–	–
4.	कमीशन –लाभ के प्रतिशत के रूप में अन्य, उल्लेख करें ...	–	–
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्य निष्पादन प्रोत्साहन)	–	–

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : (31/3/2021 तक)

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पू.का. निवेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि (रु.)
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री गौरी शंकर	डॉ. के जी कर्माकर	श्री विष्णु दुसाद	श्री पी सतीश	सुश्री सुषमानाथ	
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	रु 1,00,000/- एवं जीएसटी	रु 70,000/- एवं जीएसटी	रु 1,60,000/- एवं जीएसटी	रु 1,80,000/- एवं जीएसटी	रु 1,50,000/- एवं जीएसटी	रु 6,60,000/- एवं जीएसटी
	योग (1)	1,00,000	70,000	1,60,000	1,80,000	1,50,000	6,60,000
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	श्री पी के बिसोई	सुश्री मनीषा सिन्हा	श्री संजय प्रसाद	श्री अंशुमन शर्मा	सुश्री के संध्या रानी	सुश्री अनिंदता सिंहारे
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में सम्मिलित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें						
	योग (2)	–	–	–	–	–	–
	योग **(बी) = (1 + 2)**	–	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	–	–	–	–
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	–	–	–	–	–	–

सी. प्रबंध निदेाक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु.का. अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	– – –	13.49 लाख प्रति वर्ष	44.56 लाख प्रति वर्ष	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3.	स्वेद इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	–	–	–	–
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (कार्य निष्पादन प्रोत्साहन)	–	–	–	–

VII. अपराधों के लिए अर्थदंड / दंड / समझौता : शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड / दंड / समझौता के लिए लगाये गए शुल्कों का विवरण	प्राधिकरण / आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
ए. कंपनी	–	–	–	–	–
अर्थदंड	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–
बी. निदेशक	–	–	–	–	–
अर्थदंड	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–
सी. अधिकाकारियों द्वारा अन्य चूक	–	–	–	–	–
अर्थदंड	–	–	–	–	–
दंड	–	–	–	–	–
समझौता	–	–	–	–	–

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 / 12 / 2021

विनीत पांडेय
अध्यक्ष
डिन–09199133
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग,
नई दिल्ली–21

जे. वेंकटरामू
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डिन–08918442
प्लॉट नंबर. 169,
सीबीआर कृश्णा वेणी इंकलेव
याप्राल, तिरुमलगिरि,
हैदराबाद, 500087

अनुबंध – II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के अनुसार

(ए). ऊर्जा संरक्षण :

ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयास	प्रभावी ऊर्जा उपकरणों की स्थापना
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए प्रयास	कंपनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा संरक्षण के लिए पूंजीगत निवेश	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय समय पर निवेश हेतु विचार किया जाता है।

(बी). प्रौद्योगिकी समावेशन:

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु किया गया प्रयास : **शून्य**

(ii) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ : **शून्य**

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परिगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) : **लागू नही**

(अ) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण
(ब) आयात का वर्ष
(स) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से समावेश हो गई है
(द) यदि पूर्ण रूप से समावेश नहीं हुई है, तो वह क्षेत्र जहां समावेश नहीं हुई है, तथा उसके कारण, और

(iv) अनुसंधान एवं प्रगति पर किया गया व्यय : **शून्य**

(सी) विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय:

उपयोग किया गया विदेशी विनिमय : **शून्य**

अर्जित किया गया विदेशी विनिमय : **शून्य**

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 9 के अनुरूप)

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

हमने **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (सीआईएन यू74999डीएल2016जीओआई304561)** (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

ए. कंपनी के बही खातों कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों और कंपनी, उसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई अन्य जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एततद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 ('लेखा परीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन हैं।

बी. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए बही खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गए नियम,

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाये गए नियम, **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(iii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाये गए विनियम तथा उपनियम

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक बनाये गए नियम **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियमन और दिशानिर्देश **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(vi) कंपनी में व्याप्त अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आम तौर पर उन अधिनियमों का अनुपालन किया है, प्रबंधन ने बैंकिंग विनियमन 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और वहां बनाये गए नियमों एवं अधिनियमों, जिस सीमा तक कंपनी के प्रति उनकी प्रयोज्यता है, सहित की पहचान की है और पुष्टि की है कि वे कंपनी पर विशेष रूप से लागू हैं। बहरहाल, कॉरपोरेट

गर्वेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, हमें प्रदान की गई जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पास आवेदन किया है कि 'कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीपीएसई के रूप में।'

सी. हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है :

i. इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और सामान्य बैठकों (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौते। **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधान का अनुपालन किया है :

ए) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रबंध निदेशक का पद 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक रिक्त था।

बी) लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप 1 नवंबर, 2013 से प्रभावी नहीं है। लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे जिनमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे।

सी) 31 मार्च, 2021 को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी जैसाकि भुगतान बैंकों को लाईसेंस देने ("लाईसेंसिंग दिशानिर्देशों") के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

डी) कंपनी ने बिना भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिए 26 नवंबर, 2020 को एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों में 77.01 लाख रुपये का निवेश किया है। तत्पश्चात, दिनांक 7 सितंबर, 2021 के पत्र के अनुसार, आरबीआई ने एनपीसीआई में किए गए निवेश को वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी ने एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों को —— को हस्तांतरित किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

i. 31 मार्च, 2021 को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को छोड़कर, कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलिन के साथ विधिवत गठन किया गया था, जो लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों में निर्धारित बहुमत में नहीं थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ii. बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन अग्रिम भेजे जाते थे, बहरहाल, कुछ मामलों में नोटिस और एजेंडा पेपर बोर्ड की सहमति से कम अवधि के नोटिस पर भेजे गए थे और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

iii. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसाकि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखरखाव किए गए रिकॉर्डों के आधार पर तथा विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित कार्यक्रम हुए जिनका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में प्रभाव पड़ा था :

ए) दिनांक 01.12.2020 को बैंक की अधिकृत पूंजी को 1,035 करोड़ से बढ़ाकर 1,255 करोड़ रुपये करने के लिए एसोसिएशन के ज्ञापन को बदल दिया।

बी) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने राइट इश्यू आधार पर डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 10 रुपये प्रत्येक के 22,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

नोट :

ए) इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ' अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

बी) कोविड–19 महामारी के बीच प्रतिबंधित आवाजाही के कारण, कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य रिकॉर्डों आदि सहित सचिवीय अभिलेखों की जांच करने के द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा की और उनमें से कुछ को कंपनी से इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा प्राप्त किया और मूल अभिलेखों से सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत रिकॉर्ड सही और दुरुस्त हैं।

Sd/

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन : एस2014यूपी280200
समकक्ष समीक्षा संख्या : 1083 / 2021

Sd/

पारुल जैन
प्रोपराइटर
एम.संख्या एफ8323
सीपी संख्या : 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 01.12.2021

यूडीआईएन : एफ008323बी000921611

अनुलग्नक –ए

सेवा में,

सदस्यगण

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सटीकता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चत करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम विश्वास करते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का अनुपालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, इसलिए हमने नमूना आधार पर सांविधिक/कानूनी अनुपालनों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन किया है। उनकी रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बन रही हैं।

4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमनों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया है।

6. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच अधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. भारत में आम तौर पर स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी के बही–खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हमें न तो कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है, और न ही वर्ष के दौरान कंपनी ने नोटिस की है और कोई रिपोर्ट की है और तदनुसार कंपनी ने हमें ऐसे किसी भी मामले के बारे में सूचित नहीं किया है।

Sd/-

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

एफआरएन : एस2014यूपी280200

समकक्ष समीक्षा संख्या : 1083/2021

Sd/

पारुल जैन

प्रोपराइटर

एम.संख्या एफ8323

सीपी संख्या : 13901

स्थान : गाजियाबाद

दिनांक : 01.12.2021

यूडीआईएन : एफ008323बी000921611

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

एकल वित्तीय विवरण राय की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें मार्च, 2021 का तुलन–पत्र, लाभ हानि खाता, तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं।

2. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय तथा विवरण बैंगि विनिमयन अधिनियम, 1949 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा कंपनी अधिनियम नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को बैंक के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा की उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों वाले अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत, एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहित के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहित के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमें हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

4. हम एक परिसंपत्ति के जीवन चक्र परिवर्तन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों के साथ 'सर्वर और नेटवर्क स्विच पर मूल्यह्रास' नोट संख्या 41 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप 18.12 करोड़ रुपये की राशि के पिछले वर्षों के मूल्यह्रास को उलट दिया गया।

5. हम अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के उपचार के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की नोटसंख्या 45 'एसआई लागत' की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

6. चूंकि डाक विभाग (डीओपी) ने लांच कार्यक्रम की साज–सज्जा, ब्रांडिंग और प्रबंधन से संबंधित पूरा काम किया है, इसलिए कुछ विक्रेताओं ने डीओपी के नाम पर बिल जमा कर दिया है। यह ध्यान में रखते हुए कि डीओपी मूल संगठन है, बैंक ने डीओपी के नाम से उक्त बिलों को स्वीकार किया है जैसेकि इससे संबंधित बिल हैं और उनके बही खातों में उनके लिए हिसाब दिया गया है।

7. हम संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 43 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं का वर्णन करता है। इन अनिश्चितताओं को देखते हुए, बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर प्रभाव भविष्य के घटनाक्रमों पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य मामला

कंपनी (लेखा मानक) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसार, तैयार किए गए 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सनदी लेखाकारों की एक अन्य फर्म द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 21 जुलाई, 2020 के द्वारा उन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

कोविड–19 के कारण कार्य क्षेत्र सीमाएं

वर्तमान रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई राय, बैंक प्रबंधन द्वारा इलेक्ट्रनिक माध्यमों से उपलब्ध कराई गई सीमित सूचनाओं, तथ्यों तथा आगतों पर आधारित है। हम यह रेखांकित करना चाहते हैं कि कोविड–19 के कारण शारीरिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंधों तथा सख्य समय सीमा के कारण समस्त लेखा परीक्षण दल प्रधान कार्यालय अथवा शाखाओं में आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों के तहत वर्णित अपेक्षित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए नहीं जा सके, लेकिन यह निम्न तक सीमित नहीं है :

ए) मूल दस्तावेजों/फाइलों का निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण तथा सत्यापन

बी) अचल आस्तियों/स्टेशनरी संचालन रिकॉर्डों की भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

सी) एफए के सत्यापन के लिए शाखाओं का दौरा

डी) राज्यों के बीच आवागमन पर प्रतिबंध ने आई टी प्रणालियों तथा उनमें निहित नियंत्रणों के अध्ययन के लिए डाटा सेन्टर के दौरे पर भी रोक लगा दी।

उपरोक्त मामलों में हमारी राय परिमित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

8. मुख्य लेखापरीक्षा वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक मतानुसार, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। पूर्ण रूप में, एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा तथा उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर ध्यान दिया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

9. हमने निम्न मामलों को अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामले सूचित किए जाने के लिए निर्धारित किया है।

क्र.सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	राजस्वों एवं अन्य संबंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित हैं : • बैंक द्वारा अपनाई गई राजस्व निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • राजस्व मदों के एक नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा राजस्व मदों की पहचान एवं उन्हें खाता–बहियों में निरुपित करने से संबंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के परिचालन के संबंध में जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण संबंधित संयुक्त प्रक्रियाओं का संयोजन किया। • राजस्व के अधिलेखन एवं प्रकटीकरण में उपयोग की जाने वाली राजस्व तथा संबद्ध सूचनाओं से संबंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। • राजस्व की गणना हेतु प्रयुक्त संव्यवहार कीमत जांच तथा परिवर्ती प्रतिफल के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी परिवर्ती प्रतिफल सहित संव्यवहार कीमत को निर्धारित करने के लिए प्रभार तालिका पर विचार किया गया। .
2.	व्ययों तथा अन्य संबंधित शेष राशियों के निर्धारण, मापन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा निम्नानुसार वास्तविक परीक्षण सम्मिलित हैं : • बैंक द्वारा अपनाई गई व्यय निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया। • व्यय मदों के एक नमूने का चयन किया गया और आंतरिक नियंत्रणों तथा व्यय मदों की पहचान एवं उन्हें खाता–बहियों में निरुपित करने से संबंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के परिचालन के संबंध में जांच एवं अवलोकन, निष्पादन तथा साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित संयुक्त प्रक्रियाओं का संयोजन किया। • राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में उपयोग की जाने वाली संबद्ध जानकारियों तथा राजस्व एवं संबद्ध सूचनाओं से संबंधित सुसंगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच एवं प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया।

एकल वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षक की उन पर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचनाएं

10. बैंक का निदेशक मंडल अन्यू सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारियां शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार किन्हीं अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करते हैं और उन पर हम किसी भी रूप में आश्वासन अंतिम निष्कर्ष नहीं देंगे।

एकल उपरलिखित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को, जब वह उपलब्ध हो जाए, पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना कि क्या अन्य सूचनाएं एकल वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी अपनी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या कथन प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, उसमें कोई महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी है तो हमें अभिशासन प्रभारियों को उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व :

11. बैंक का निदेशक मंडल भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी (लेखांकन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्टी लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के संबंध में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने वाले एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनकी पहचान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवकेपूर्ण निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है जो एकल वित्तीय विवरणों, जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण हो, की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के संबंध में लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे।

12. एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का निर्धारण करने, कार्यशील संस्था से संबंधित, यथा लागू, मामलों का प्रकटीकरण करने और कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जबतक कि प्रबंधन बैंक को परिनिर्धारित करने या परिचालन को बंद करने का विचार नहीं करता अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं हो।

13. बैंक का निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

14. हमारा उद्वेश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करनी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार

की गई लेखा परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण मिथ्या कथन, जब ये मौजूद हों, का पता लगायेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा यह तब महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यदि अकेले में या समग्र में, ये इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिये गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हों।

15. लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखापरीक्षा में व्यवसायिक संशय बनाये रखते हैं। हम भी :

- एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों के जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुकूल लेखाप्रक्रियाओं को बनाते हैं तथा निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार देते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों के अनुसार, समुचित लेखाप्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में लेखापरीक्षा के अनुकूल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) ;पद्ध के अंतर्गत, हम बैंक के पास उपलब्ध पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की प्रणालियों तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, घटना या स्थितियों से संबंधित किसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता की मौजूदगी के विषय में निष्कर्ष प्रदान करना, बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाने अथवा यदि इसी प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण हो सकती हैं।

- एकल वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुति, संरचना एवं विषय सूची का समग्र मूल्यांकन करना और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों एंव घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो एक निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो।

16. हम अभिशासन के प्रभारितों को, अन्य मामलों के साथ साथ, आंतरिक नियंत्रण में, अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित, लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित जिन्हं हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, के संबंध में सूचना देते हैं।

17. हम अभिशासन के प्रभारितों को सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उन्हें सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने के लिए तर्कसंगत माने जा सकते हैं, तथा संबंधित सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, की सूचना देंगे।

18. अभिशासन के प्रभारितों को सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा अवधि की एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं।

हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं जब तक कि मामलों के बारे में विधि अथवा विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करते हैं या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से बहुत अधिक होंगे।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

19. तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाता (नियमावली) 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा अधिनियम की धारा 133 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

20. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप–धारा (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्वेश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

बी) बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

सी) सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा तालाबंदी के कारण हम शाखाओं का दौरा करने में असमर्थ थे, तथापि प्रमुख अनुप्रयोगों के कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध होने से बैंक के प्रमुख परिचालन स्वचालित हैं, लेखापरीक्षा केंद्रीय स्तर पर की गई क्योंकि हमारी लेखा परीक्षा के उद्वेश्य के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड एवं आंकड़े उसमें उपलब्ध हैं।

21. अधिनियम की धारा 197 (16) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, एक बैंकिंग कंपनी है : क्या बैंक द्वारा प्रदत्त मानदेय, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप है और क्या उपरोक्त धारा के अनुरूप कोई आर्थिक मानदेय दिया गया है, से संबंधित धारा 197 (16) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

22. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित है, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप–निर्देशों पर विचार किया है। हम अपनी रिपोर्ट संलग्न 'अनुलग्नक ए' में देते हैं।

23. साथ ही, अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, जहां तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की तथा प्राप्त किया जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा के उद्वेश्य के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारे विचारानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियों का रखरखाव बैंक द्वारा किया गया है जहां तक कि यह हमारे द्वारा उन बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है :

सी) इस रिपोर्ट में विचारित एकल वित्तीय विवरण खाता बहियों के साथ तालमेल में है।

डी) हमारे विचारानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के (यथा संशोधित), नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के साथ असंगत नहीं हैं, का अनुपालन करते हैं।

ई) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए गए, निर्देशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2021 को निर्देशक नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं है।

एफ) हमने बैंक की 31 मार्च, 2021 की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (आईएफसीआर) का भी बैंक की उस तिथि के एकल वित्तीय विवरणों के साथ लेखा परीक्षण किया है और हमारी 29 जुलाई, 2021 की रिपोर्ट कं अनुबंध 'बी' में असंशोधित विचार व्यक्त किए गए हैं। और

जी) हमारे विचार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :

i. बैंक ने 31 मार्च, 2021 को लंबित मुकदमों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

ii. बैंक ने लागू विधि तथा लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित, महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई है, के लिए व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर 31 मार्च, 2021 को प्रावधान किया है और

iii. बैंक द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं किया गया है, और

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000517N

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 087716
यूडीआईएन संख्या :

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

अनुबंध "ए"

अनुबंध में बैंक के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्श के लिए सम दिनांक की एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया।

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीएंडजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000517 छ

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 087716
यूडीआईएन संख्या :

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के अनुसार वर्श 2020–2021 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्श 2020–21 के लिए दिशानिर्देश

1) **क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है ? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावो के साथ साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जाए।**
   हां, बैंक के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है।

2) **क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण वर्तमान ऋण की कोई पुनर्संरचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं ? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बतायें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा–जोखा रखा गया है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।**
   चूंकि यह एक भुगतान बैंक है इसलिए इसे कोई भी अग्रिम देने की अनुमति नहीं है और इसलिए मौजूदा ऋण को कोई पुनर्गठन नहीं है या ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को दिए गए ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।

3) **क्या केंद्र/राज्य एर्जेन्सियों से विशिश्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके निबंधन एवं भार्तों के अनुरूप उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनायें।**
   केंद्र/राज्य एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000517 N

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 087716
यूडीआईएन संख्या :

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

अनुबंध 'बी'

इस अनुबंध ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्श के लिए सम दिनांक की एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को उद्धृत किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को और के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ बैंक के इसी तिथि के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओएफआर) का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

2. बैंक का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में अधिनियमम के तहत अपेक्षित बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन रिकॉर्डो की सटीकता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की तैयारी के साथ ही समुचितत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव सम्मिलित हैं जो इसके व्यवसाय का क्रमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली रूप से परिचालित थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है। हमें आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट ('मार्गदर्शक नोट') तथा अधिनियम की धारा, 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखापरीक्षा के मानकों, आईएफसीओएफआर लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू, के अनुसार लेखापरीक्षा की है। अब मानकों एवं मार्गदर्शक नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या आईएफसीओएफआर स्थापित किए और बनाये गए और क्या इन नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली परिचालन किया, लेखापरीक्षा की योजना बनायें एवं निष्पादित करें।

4. हमारी लेखापरीक्षा में आईएफसीओएफआर की उपयुक्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। आईएफसीओएफआर की हमारी लेखापरीक्षा में आईएफसीओएफआर की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के साथ ही वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, के जोखिम आकलन पर निर्भर करती है।

5. हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह बैंक की आईएफसीओएफआर प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

6. किसी बैंक का आईएफसीओएफआर, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तर्कसंगत आरूवासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। एक बैंक के आईएफसीओएफआर में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो (1) उचित विवरण, सटीक तथा निष्पक्ष रूप से बैंक के संव्यवहार और आस्तियों के निपटान को प्रतिबिंबित करने वाले रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकृतियों के अनुसार किए जा रहे हैं : तथा (3) बैंक की आस्तियो के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

7. सांठ–गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों के उल्लंघन को अनुचित प्रबंधन सहित, आईएफसीओएफआर की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, आईएफसीओएफआर के भविष्य के लिए पूर्वानुमानों का मूल्यांकन इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण आई आईएफसीओएफआर अपर्याप्त हो जाए अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आए।

राय

8. हमारी राय में, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं तथा 31 मार्च, 2021 तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में बताये गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 000517 N

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या : 087716
यूडीआईएन संख्या :

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2021

इंडिया पोस्ट पेमेन्टस बैंक लिमिटेड
31मार्च 2021 का तुलन पत्र

(रुपयों में)

पूंजी व देयताएं	अनुसूची	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पूंजी	1	12,550,000,000	10,350,000,000
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	-8,103,855,507	-4,609,882,204
जमाराशियां	3	22,996,851,061	8,550,312,137
उधार ली गई राशियां	4	169,963,638	-
अन्य देयताएं व प्रावधान	5	3,004,436,771	2,162,238,607
योग		**30,617,395,963**	**16,452,668,540**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी व शेष राशि	6	854,128,200	326,956,650
बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	6,294,543,972	4,546,291,831
निवेश	8	19,090,898,351	6,942,493,469
ऋण व अग्रिम	9	-	-
अचल आस्तियां	10	1,577,432,606	2,004,516,878
अन्य आस्तियां	11	2,800,392,834	2,632,409,712
योग		**30,617,395,963**	**16,452,668,540**
आकस्मिक देयताएं	12	2,500,000	2,500,000
वसूली के लिए बिल		-	-
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां	17		
लेखों के नोट	18		

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव (पैन नंबर–एक्यूकेपीबी7572एल)
फ्लैट नंबर 901/01, ऑक्सीरिच एवेन्यू,
इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उप्र

Sd/-
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन नंबर –एएचएसपीएस3813क्यू)
ई–75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021)

Sd/-
(जे वेंकटरामू)
प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(पैन नंबर–एईक्यूपीजे5187डी)
ई–62, आनंद निकेतन,
नई दिल्ली–110021)

Sd/-
के संध्या रानी
निदेषक (डीआईएन संख्या 07314954)
डी 10, टावर 7, टाइप अप ए,
न्यू मोतीबाग, दिल्ली–21)

Sd/-
(विनीत पांडेय)
चेयरमैन (डीआईएन 09199133)
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग, नई दिल्ली–21

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

Sd/-
कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनद लेखाकार –एफआरएन संख्या. 000517एन

Sd/-
(देविन्दर कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या. 087716)

दिनांक : 29.07.2021
स्थान : नई दिल्ली

इंडिया पोस्ट पेमेन्टस बैंक लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(रुपयों में)

	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31.03.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2020
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	804,429,672	457,567,936
अन्य आय	14	1,326,886,068	90,055,601
योग		2,131,315,740	547,623,537
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	459,080,921	135,993,347
परिचालन व्यय	16	4,940,231,466	4,875,264,588
प्रावधान व आकिस्मताएं व्यय		-62,557,770	-1,123,500,357
योग		5,336,754,617	3,887,757,578
असाधारण मदे			
पूर्व अवधि व्यय			
निवल लाभ/निवल हानि		-3,205,438,877	-3,340,134,041
लाभ हानि खाते में शेष राशि (आगे ले जाया गया)		-5,008,955,059	-1,644,097,989
विनोयोजन के लिए उपलब्ध लाभ		-8,214,393,936	-4,984,232,030
विनोयन			
आरक्षित निधियों (निवल) को अंतरित			
सांविधिक आरक्षित निधि		-	-
अनुदान खाता - पूंजी आरक्षित निधि		14,364,130	24,723,029
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		-	-
अन्य आरक्षित निधियां		-	-
विशेष आरक्षित निधि		-	-
तुलन पत्र में जाई गई राशि		-8,228,758,066	-4,984,232,030
योग		-8,214,393,936	-4,984,232,030

Sd/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव (पैन नंबर–एक्यूकेपीबी7572एल)
फ्लैट नंबर 901/01, ऑक्सीरिच एवेन्यू,
इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उप्र

Sd/-
(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी (पैन नंबर –एएचएसपीएस3813क्यू)
ई–75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली–110021)

Sd/-
(जे वेंकटरामू)
प्रबंध निदेषक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(पैन नंबर–एईक्यूपीजे5187डी)
ई–62, आनंद निकेतन,
नई दिल्ली–110021)

Sd/-
के संध्या रानी
निदेषक (डीआईएन संख्या 07314954)
डी 10, टावर 7, टाइप अप ए,
न्यू मोतीबाग, दिल्ली–21)

Sd/-
(विनीत पांडेय)
चेयरमैन (डीआईएन 09199133)
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग, नई दिल्ली–21

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

Sd/-
कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनद लेखाकार –एफआरएन संख्या. 000517एन

Sd/-
(देविन्दर कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
(सदस्यता संख्या. 087716)

दिनांक : 29.07.2021
स्थान : नई दिल्ली

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 1 – पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी		
125,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	12,550,000,000	10,350,000,000
निर्गत/अभिदत्त		
125,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	12,550,000,000	10,350,000,000
प्रदत्त पूंजी		
125,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु. 10	12,550,000,000	10,350,000,000
योग	**12,550,000,000**	**10,350,000,000**

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
I. सांविधिक आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	5,554,402		5,554,402	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		5,554,402		5,554,402
II. आरक्षित पूंजी निधि				
अ). पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
(सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास)				
ब). अन्य (अनुदान खाता)				
प्रारम्भिक शेष	393,518,453		381,528,224	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	14,364,130		62,131,595	
वर्ष के दौरान कटौती (प्रयुक्त)	288,534,426		50,141,366	
		119,348,157		393,518,453

(रुपयों में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
III. राजस्व तथा अन्य आरक्षित		
अ. निवेश आरक्षित निधि	-	-
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
घटायें: लाभ एवं हानि खाता को अंतरण		
ब. अन्य आरक्षित निधियां		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
स. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (निवल)	-	-
घटायें: वर्ष के दौरान निकासी (निवल)	-	-
IV. शेयर प्रीमियम		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
V. विशेष आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
VI. लाभ एवं हानि खाता में उपलब्ध शेष	-8,228,758,066	-5,008,955,059
I,II,III,IV,V,VI का योग	**-8,103,855,507**	**-4,609,882,204**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 3 – जमा राशियां				
अ. I. मांग जमा राशियां				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य से	171,514,834		77,247,321	
		171,514,834		77,247,321
II. बचत बैंक जमाराशियां		22,825,336,227		8,473,064,816
III. मीयादी जमा राशियां				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य से	-		-	
I, II, III का योग		**22,996,851,061**		**8,550,312,137**
ब. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		22,996,851,061		8,550,312,137
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां		-		-
I, II का योग		**22,996,851,061**		**8,550,312,137**
अनुसूची 4 – उधार ली गई राशियां				
I. भारत में उधार ली गई राशियां				
(i) भारतीय रिजर्व बैंक		-		-
(ii) अन्य बैंक		-		-
(iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		169,963,638		-
(iv) बांड (टियर-I, टियर-II गौण बांडों सहित)		-		-
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां		-		-
I, II का योग		**169,963,638**		**-**

उपरोक्त I व II जमानती उधार राशियों सहित

(रुपयों में)

		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 5 -अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		-		-
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल)		-		-
III. उपचित ब्याज		12,125		-
IV. आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-		-
V. अन्य (प्रावधानों सहित)		3,004,424,646		2,162,238,607
I, II, III, IV & V का योग		**3,004,436,771**		**2,162,238,607**
अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष				
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)				
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि				
(i) चालू खाते में	**854,128,200**		**326,956,650**	
(ii) अन्य खातों में	-		-	
		854,128,200		326,956,650
I, II का योग		**854,128,200**		**326,956,650**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

				(रुपयों में)
		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
I. भारत में				
(i) बैंकों के पास शेष राशि:				
(ए) चालू खातों में	37,543,972		13,791,831	
(बी) अन्य जमा खातों में	6,037,000,000		4,372,500,000	
		6,074,543,972		4,386,291,831
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:				
(ए) बैंकों के पास	-		-	
(बी) अन्य संस्थानों के पास	220,000,000		160,000,000	
		220,000,000		160,000,000
योग (i एवं ii)		6,294,543,972		4,546,291,831
II. भारत से बाहर				
(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
योग		-		-
कुल योग (I व II)		**6,294,543,972**		**4,546,291,831**

(रुपयों में)

अनुसूची 8 - निवेश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	19,083,196,559	6,942,493,469
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(iii) शेयर	7,701,792	-
(iv) डिबेंचर तथा बाँड	-	-
(v) सहयोगी/सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(vi) अन्य	-	-
(विविध म्युचुअल फंड एवं वाणिज्यिक पत्र इत्यादि)		
I का योग	19,090,898,351	6,942,493,469
II. भारत से बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ii)सहयोगी सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
II का योग	-	-
III. भारत में निवेश		
I) निवेश का सकल मूल्य	19,092,865,851	6,943,584,302
ii) घटायें: मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान	1,967,500	1,090,833
iii) निवल निवेश	19,090,898,351	6,942,493,469
IV. भारत से बाहर निवेश		
I) निवेश का सकल मूल्य		
घटायें: मूल्यह्रास के लिए समग्र प्रावधान		
iii) निवल निवेश		
I व II का कुल योग	**19,090,898,351**	**6,942,493,469**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

अनुसूची 9 - अग्रिम

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ए. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	-	-
iii) मीयादी ऋण	-	-
योग	-	-
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋणों पर अग्रिमों सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	-	-
iii) अरक्षित	-	-
योग	-	-
सी. (I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	-
योग	-	-
सी. (II) भारत से बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से प्राप्य	-	-
ii) अन्य से प्राप्य	-	-
(अ) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
(ब) मीयादी ऋण	-	-
(स) अन्य	-	-
योग	-	-
सी (I) व सी (II) का कुल योग	-	-

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

अनुसूची- 10 अचल आस्तियां		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
I. परिसर (भूमि सहित)				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
- पुनर्मूल्यांकन	-		-	
घटायें: आज तक मूल्यह्रास	-		-	
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	1,369,242,299		1,394,472,544	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	56,340,043		19,077,299	
घटायें: वर्ष के दौरान कटौतियां	1,340,047		44,307,544	
घटायें: आज तक मूल्यह्रास	512,927,717		452,498,211	
		911,314,578		**916,744,088**
III. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
-वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	1,637,548,954		1,603,195,829	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	141,183,678		34,353,126	
- वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
घटायें: आज तक परिशोधित	1,112,614,604		549,776,164	
		666,118,028		**1,087,772,790**
IV. पट्टे पर ली गई आस्तियां				
- वर्ष की 1 अप्रैल को लागत पर	-		-	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
- वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
घटायें: आज तक मूल्यह्रास	-		-	
V. जारी कार्य	-		-	
I, II, III, IV का योग		**1,577,432,606**		**2,004,516,878**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां		
I. उपचित ब्याज	161,165,591	187,487,160
II. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर कर की कटौती (प्रावधानों का निवल)	34,621,757	43,805,815
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प्स	-	-
IV. दावों की संतुष्टि हेतु उपार्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां	-	-
V. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	1,768,120,456	1,704,284,389
VI. प्रतिभूति जमाराशियां	33,418,802	29,459,425
VII. डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	2,383,592	88,881,399
VIII. अन्य	800,682,636	578,491,524
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII का योग	**2,800,392,834**	**2,632,409,712**

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	-	-
I (ii). अपील, संदर्भों, इत्यादि के अंतर्गत विवादित आयकर तथा ब्याज कर की मांग	-	-
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	-	-
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
(ए) भारत में	-	-
(बी) भारत से बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	2,500,000	2,500,000
I, II, III, IV, V, VI का योग	**2,500,000**	**2,500,000**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में)

अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज और लाभांश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	-	-
II. निवेशों पर आय	516,413,039	242,526,258
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक के पास शेष राशियों पर ब्याज	286,043,400	215,041,678
IV. अन्य	1,973,233	-
I, II, III, IV का योग	**804,429,672**	**457,567,936**

अनुसूची 14 - अन्य आय

		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
I. कमीशन, विनिमय व दलाली		1,298,819,668		73,235,105
II. भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ		-		-
घटायें: भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि		-		-
III. म्युचुअल फंड से लाभांश आय		-		-
IV. विनिमय लेन-देन पर लाभ		-		-
घटायें: विनिमय लेन-देन पर हानि		-		-
V. निवेशों के विक्रय पर लाभ	18,516,815		3,290,820	
घटायें: निवेशों के विक्रय पर हानि	2,720,397		206,250	
		15,796,418		3,084,570
VI. भर्ती सम्बंधित आय		-		277,122
VII. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		12,009,212		11,893,665
VIII. विविध आय		260,770		1,565,139
I, II, III, IV, V, VI, VII का योग		**1,326,886,068**		**90,055,601**

(रुपयों में)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	457,956,653	135,450,678
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज	1,124,268	542,669
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	**459,080,921**	**135,993,347**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	2,832,259,611	2,642,852,204
II. किराया, कर एवं बिजली	3,882,066	5,638,127
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	20,565,148	25,234,486
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	50,963,091	34,698,553
V. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	624,091,310	953,558,355
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ता तथा व्यय	740,000	980,000
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क तथा व्यय (सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षक, शाखा लेखापरीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित)	950,780	1,077,249
VIII. विधि प्रभार	542,300	99,690
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	142,143,895	402,739,705
X. मरम्मत एवं रखरखाव	3,177,596	2,664,182
XI. बीमा	27,354,810	53,403,956
XII. व्यवसायिक शुल्क	13,859,835	123,370,901
XIII. जीएसटी व्यय	79,944,924	40,179,669
XIV. एसआई लागत	777,800,206	406,344,615
XV. भर्ती व्यय	686,800	548,944
XVI. प्रशिक्षण व्यय	942,855	3,642,378
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय	62,040,068	36,356,434
XVIII. यात्रा एवं वाहन व्यय	37,783,176	58,291,360
XIX. डाक विभाग को प्रदत्त कमीशन / डाक विभाग स्टाफ की प्रोत्साहन राशि	120,925,616	40,848,978
XX. भुगतान किया गया लेनदेन संबंधी षुल्क	115,943,672	16,834,130
XXI. अन्य व्यय	23,633,707	25,900,672
I से XXI तक का योग	**4,940,231,466**	**4,875,264,588**

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और सभी भौतिक पहलुओं में, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा लागू वैधानिक प्रावधानों, नियामक मानदंडों, परिपत्रों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी दिषानिर्देषों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखा मानक (एएस) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी घोशणाओं और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को षामिल नहीं किया गया हो।

वित्तीय विवरणों को लेखांकन या संग्रहण की अवधारणा के साथ जारी सरोकारों के आधार पर तैयार किया गया है और जब तक कि अन्य कोई बात न हो, उसका पालन लेखांकन की नीतियों और चलन के अनुसार लगातार पालन किया जाता है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आस्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में अनुमान और अनुमान लगाने की आवष्यकता होती है। प्रबंधन मानता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संषोधन को वर्तमान और भविश्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. राजस्व मान्यता

आय और व्यय का हिसाब इस प्रकार हैः

3.1 निवेष से होने वाली आय का हिसाब नीचे दिया गया हैः

ए) राजकोशीय चालान (ट्रेजरी बिलों) और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को उनके समय के अनुपात के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

बी) निवेषों की बिक्री पर होने वाले लाभ को निवेष की बिक्री की तारीख पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है

3.2 मियादी जमाराषियों पर ब्याज की गणना आनुपातिक आधार पर समय पर की जाती है।

3.3 कमीषन, एक्सचेंज और दलाली ब्रोकरेज को आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब अंतर्निहित लेन–देन का कार्य निश्पादित किया जाता है।

3.4 भर्ती आय को तब माना जाता है, जब वह प्राप्त होती है।

3.5 कर्मचारियों से वसूली और विविध स्रोतों से होने वाली आय आय मानी जारूप में जब प्राप्त किया जाता है तब मान्यता दी जाती है।

3.6. स्वीकृत जमाराषियों और उधारों से संबंधित सभी ब्याज व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.7 अन्य सभी परिचालन व्ययों का लेखा–जोखा प्रोद्भवन आधार पर किए जाते हैं।

4. निवेश

4.1 भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को छोड़कर, जहां आरबीआई के दिषानिर्देषों के अनुसार लेखांकन की निपटान तिथि पद्धति का पालन किया जा रहा है, बैंक निवेष की खरीद और बिक्री के लिए लेखांकन की व्यापार तिथि पद्धति का पालन करते हैं।

4.2 निवेषों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र ए में निर्धारित अनुसार छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

4.3 निवेषों को आरबीआई के दिषानिर्देषों के अनुसार ''परिपक्वता तक धारित'', ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' और ''व्यापार के लिए धारित'' में वर्गीकृत किया गया है।

4.4 किसी निवेष की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में

ए. ब्रोकरेज, कमीषन, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्षन टैक्स (एसटीटी) आदि का भुगतान प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में किया जाता है, इसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लागत से बाहर रखा जाता है।

बी. प्रतिभूतियों के अधिग्रहणधबिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज अर्थात खंडित अवधि के ब्याज को अधिग्रहण लागत–बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा गया है और इसे अर्जित ब्याज में षामिल किया गया है, लेकिन देय खाते में नहीं।

सी. निवेष की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत पद्धति पर लागत का निर्धारण किया जाता है।

4.5 निवेषों का मूल्यांकन आरबीआई / एफआईएमएमडीए दिषानिर्देषों के अनुसार किया जाता है।

4.6 किसी भी श्रेणी में निवेष की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है, लेकिन ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेष की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समान राषि (करों और राषि को हस्तांतरित करने के लिए आवष्यक राषि का षुद्ध) सांविधिक रिजर्व) ''पूंजीगत रिजर्व खाता'' के लिए विनियोजित है।

5. अचल संपत्तियां

5.1 अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटाकर संचित मूल्यह्रास / परिषोधन, जहां कहीं लागू हो, पर बताया गया है।

5.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अचल संपत्ति अनुसूची में अमूर्त संपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के तहत जोड़ा जाता है।

5.3 लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक परिसंपत्ति पर किए गए पेषेवर षुल्क जैसे सभी व्यय षामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय / व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविश्य के लाभों को बढ़ाता है।

5.4 मूल्यह्रास

ए. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ाप के प्रावधानों का पालन आईपीपीबी द्वारा किया जाता है।

परिसंपत्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन
स्वामित्व वाले परिसर	60 वर्ष
कंप्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मषीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

बी. संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास लगाया जा रहा है।

सी. संपत्ति के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, वर्श के दौरान संपत्ति का उपयोग किए गए दिनों की संख्या के आधार पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

डी. रुपये तक की संपत्ति ₹ 5,000/- खरीद के वर्श में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

ई. सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्ति अचल संपत्ति रजिस्टर में रुपये का मामूली मूल्य रखते हुए रखी जाती है।1 पहचान के लिए।

एफ. पुनर्मूल्यांकन / बिगड़ा संपत्ति के मामले में, संषोधित संपत्ति मूल्यों के संदर्भ में संपत्ति के षेश उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

नियमित कर्मचारियों को समूह चिकित्सा बीमा, समूह सावधि बीमा और समूह दुर्घटना बीमा योजनाओं में षामिल किया जाता है।

सेवांत लाभ

I) भविश्य निधिः 30.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारी कर्मचारी भविश्य निधि के अंतर्गत आते हैं।

II) नई पेंषन योजना (एनपीएस): सभी पात्र कर्मचारी जो 01.10.2018 को या उसके बाद षामिल हुए हैं, वे परिभाशित अंषदायी पेंषन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में बैंक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10: अंषदान करता है और उसके व्यय को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इस खाते में निधि में अंषदान के अतिरिक्त बैंक का कोई दायित्व नहीं है।

III) उपदानः बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्श के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राषि के लिए लाभ सेवानिवृत्ति पर, रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या इस्तीफे पर या रोजगार की समाप्ति पर निहित कर्मचारियों को एकमुष्त भुगतान के रूप में है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अधिकतम निर्धारित। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है।

7. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राषि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार क्रमषः किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्श के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन षामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को चालू वर्श के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और हानियों को आगे बढ़ाने के द्वारा पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता है कि क्या उनकी वसूली को यथोचित/वस्तुतः निष्चित माना जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप एक दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को षामिल करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवष्यकता होगी, और जब दायित्व की राषि का एक विष्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

9. सरकारी अनुदानों का लेखा–जोखा

शासनादेष के अनुसार, एटीएम/माइक्रो–एटीएम/पीओएस के प्रावधान के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय समावेषन को आगे बढ़ाने और कैष–आउट सुविधाएं, क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण डाकघरों, ग्रामीण डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना और वित्तीय साक्षरता षिविरों का आयोजन करना। बोर्ड ने 17 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार, अनुदान के उपयोग के लिए व्यापक दिषा–निर्देषों और प्रारूपों को अनुमोदित किया है।। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को षेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और पूंजी भंडार में जमा किया गया है। इस प्रकार, बैंक सरकारी अनुदानों पर एएा–12 के अनुसार पूंजी दृश्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

अनुसूची- 18 लेखों पर टिप्पणियां

1. पूंजी

(₹ में 000)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी*	1892558	2554542
ii.	सामान्य इक्विटी टियर (%)1पूंजी अनुपात	36.15	79.24
iii.	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	36.15	79.24
iv.	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	0.00	0.00
v.	कुलपूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	36.15	79.24
vi.	बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
vii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	2200000	3350000
viii.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से :	शून्य	शून्य
	स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	स्थायी कर्ज लिखतें (पीडीआई)	शून्य	शून्य
ix.	जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत:	शून्य	शून्य
	अधिमान शेयर पूंजी लिखतें: (स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)	शून्य	शून्य

* अनुदान की कटौती के पश्चात आस्थगित कर आस्तियां तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

2. निवेश

(₹ में 000)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(1)	निवेशों का मूल्य		
i	निवेशों का सकल मूल्य	19092866	6943584
a	भारत में	19092866	6943584
b	भारत से बाहर	-	-
ii	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	1968	1091
a	भारत में	1968	1091
b	भारत से बाहर	-	-
iii	निवेशों का निवल मूल्य	19090898	6942493
a	भारत में	19090898	6942493
b	भारत से बाहर	-	-

(₹ में 000)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
i	प्रारम्भिक शेष	1091	-
ii	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	877	1091
iii	घटायें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन /प्रतिलेखन (निवल)	-	-
iv	अंतिम शेष	1968	1091

3. रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य दृष्टि से)

(₹ में 000)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसतन बकाया	31 मार्च 2021 तक बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	376416	38498	173982
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	25507000	348960	197730
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

4. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

ए) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(₹ में 000)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थानन की सीमा	'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा	'अनाकलित' प्रतिभूतियों की सीमा	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	वित्तीय संस्थायें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	7702	7702	शून्य	शून्य	7702
(v)	सब्सिडी / संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	शून्य				
	कुल योग	7702	7702	शून्य	शून्य	7702

बी) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

31 मार्च 2021 को बैंक के पास कोई गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इसलिए, इस खंड के तहत कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है।

5. एचटीएम श्रेणी से/को विक्रय तथा अंतरण

वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी को/से निवेश का कोई भी अंतरण नहीं था तथा एचटीएम श्रेणी से निवेश का कोई विक्रय भी नहीं था।

6. व्युत्पन्नी

ए. वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

बी. विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्नी

सी. व्युत्पन्नी में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

बैंक द्वारा व्युत्पन्नी में कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है, और इसलिए अतः इस क्षेत्र में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

7. आस्ति गुणवत्ता:

ए. अनर्जक आस्तियां

बी. पुनर्रचित खातों का विवरण

सी. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कम्पनी (एससी/आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण।

डी. अन्य बैंक से/को खरीदी/बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ई. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

एफ. चल प्रावधानों का ब्यौरा

बैंक "पेमेन्ट बैंकों" की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। अतः अनर्जक अग्रिमों, पुनर्रचना, मानक आस्तियों, तथा चल प्रावधानों सहित आस्ति गुणवत्ता सम्बंधित आवश्यक प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होता है।

8. कारोबार अनुपात

विवरण		31.03.2021	31.03.2020
i)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	2.75%	3.48%
ii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याजेतर आय	4.54%	0.68%
iii)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	-11.18%	-33.93%
iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-10.96%	-25.39%
v)	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	131.26	41.75
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (रु. लाख में)	(18.30)	(16.31)

i. इन अनुपातों की गणना के प्रयोजन के लिएकार्यकारी निधि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत आरबीआई को प्रस्तुत फॉर्म एक्स की रिपोर्टिंग तिथियों के लिए कुल संपत्ति (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के मासिक औसत को दर्शाती है।

ii. परिचालन हानि प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले वर्ष के लिए नुकसान है।

iii. उत्पादकता अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होते हैं।

9. एक्सपोजर्स:

ए. भूसंपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

बी. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

सी. जोखिम श्रेणी वार देशीय एक्सपोजर

डी. बैंक द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा तथा समूह ऋण सीमा के विवरण

ई. गैर ज़मानती अग्रिम

बैंक "पेमेन्ट बैंकों" की श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, एक्सपोजर से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

10. आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का अनावरण:

आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

11. AS-6 मूल्यह्रास लेखांकन:

संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यह्रास का ब्योरा

(₹ में 000)

परिसंपत्ति श्रेणी	31.03.2021	31.03.2020
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	562838	540499
अन्य अचल संपत्ति	61253	413059
कुल	**624091**	**953558**

12. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

संपत्ति और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप

(₹ 000 में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमा राशियाँ	अग्रिम	निवेश	उधारियाँ	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
अगले दिन	310490 61350	शून्य	487500 शून्य	शून्य	3661 शून्य	शून्य
2-7 दिन	734312 368097	शून्य	शून्य शून्य	169964 शून्य	शून्य	शून्य
8-14 दिन	738629 429447	शून्य	149873 349592	शून्य	शून्य	शून्य
15-30 दिन	694989 शून्य	शून्य	49936 199360	शून्य	शून्य	शून्य
31 दिनों से कत हाम 2	शून्य	शून्य	149377 149119	शून्य	शून्य	शून्य
2 माह से अधिक 3 माह तक	शून्य	शून्य	695606 1236353	शून्य	शून्य	शून्य
3 माह से अधिक 6 माह तक	शून्य	शून्य	8294365 1665381	शून्य	शून्य	शून्य
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	शून्य	शून्य	9104771 3342688	शून्य	शून्य	शून्य
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	20518431 7691419	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	शून्य	शून्य	103878 NIL	शून्य	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य	55592 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	22996851 8550312	शून्य	19090898 6942493	169964 शून्य	3661 शून्य	शून्य

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष से सम्बंधित हैं।

नोट: परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को चालू/बचत जमा के निकासी स्वरूप को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंतरण अध्ययन के आधार पर उपयुक्त वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा मानकों द्वारा आवश्यक अन्य प्रकटीकरण

13. **एएस -9 राजस्व निर्धारण:**

आय और व्यय निम्नानुसार लेखांकित हैं ;

ए. निवेशों पर आय निम्नानुसार लेखांकित है:

अ) ट्रेजरी बिल तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज समय समानुपातिक आधार पर आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

ब) निवेशों की बिक्री पर लाभ निवेश की बिक्री की तिथि पर आय के रूप में मान्य किया गया है।

बी. मीयादी जमा राशियों पर ब्याज समानुपातिक के आधार पर लेखांकित है।

सी. कमीशन, विनिमय एवं दलाली को, जैसे तथा जब अंतर्निहित लेन-देन निष्पादित होते हैं, तब आय के रूप में मान्य किया जाता है।

डी. भर्ती सम्बंधित आय को, जब और जैसे, प्राप्त होने पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ई. कर्मचारियों से वसूली तथा विविध आय को, जैसे और जब यह प्राप्त होती है, तब मान्य किया गया हैं।

एफ. स्वीकृत जमा राशियों और उधारियों से सम्बंधित सभी ब्याज व्यय उपचय आधार पर मान्य हैं।

जी. अन्य सभी परिचालन व्यय उपचय आधार पर लेखांकित हैं।

14. एएस11- विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन:

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के तहत मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है।इस संबंध में, बैंक को 50,070/- अमेरिकी डॉलर की जमानत राशि प्राप्त हुई थी।यह राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई थी और इसे «बैंकों के साथ चालू जमा» के तहत दिखाया गया था।मैसर्स वेस्टर्न यूनियन के प्रति सम्बन्धित देयता «अन्य देयताओं - अन्य» के तहत दर्शाया गया था।31 मार्च 2021 के लिए लागू FIMMDA द्वारा जारी स्पॉट रेट पर भारतीय रुपयेमें मुद्रांतरण किया गया था।

15. एएस-12 सरकारी अनुदानों का उपयोग

अनुदानों का उपयोग नीचे दिया गया है;

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
प्रारम्भिक शेष	368795	381528
जोड़ें प्ताप्र नारौद के र्षव :	शून्य	शून्य
जोड़ें सिपाव नध प्ताप्र से ोंलडमँ गाभवर्िकाड :	शून्य	37408
घटाएंईग िक गोयपउ नारौद के र्षव :	263811	50141
सहायता अनुदान की अंतिम शेष राशि (ए)	**104984**	**368795**
सहायता अनुदान पर अर्जित प्रारंभिक ब्याज शेष	24723	शून्य
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	14364	24723
घटाएं: डाक विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया पिछले वर्ष का ब्याज	24723	शून्य
सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का अंतिम शेष राशि (बी)	**14364**	**24723**
बैलेंस शीट (ए) + (बी) की अनुसूची 2 के अनुसार अंतिम शेष राशि	**119348**	**393518**

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से पर अर्जित ब्याज के रूप में लाभ और हानि खाते से 1.44 करोड़ रुपये की राशि को अनुदान खाते में स्थानांतरित कर दिया है, जिसे डाक विभाग के माध्यम से भारत की समेकित निधि में प्रेषित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि 2.47 करोड़ रुपये को चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि में आगे प्रेषण के लिए डाक विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

16. एएस-15: कर्मचारी लाभ:

ए) ग्रेच्युटी:

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकिक मूल्यांकन (वित्त वर्ष 2019- 20 के दौरान 5.85 करोड़ रुपये) के आधार पर 8.07 करोड़ रुपये की वार्षिकियां खरीदी हैं। यह राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गयी है।

बी) अवकाश नकदीकरण:

बैंक ने वर्ष के दौरान सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए 7.36 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 4.64 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया है। यह राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गयी है।

17. AS-18के अनुसार सम्बन्धित पक्षों का प्रकटीकरण:

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(₹ 000 में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
निदेशकों को प्रदत्त मानदेय	740	980
एमडी व सीई ओ को प्रदत्त मानदेय	10331	5275
सी एफ ओ को प्रदत्त मानदेय	4456	3860
कंपनी सचिव को प्रदत्त मानदेय	1349	1229

18. एएस 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग

(₹ 000 में)

भाग ए: कारोबार खंड			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
i.	राजस्व खंड		
	a) ट्रेजरी	-818253	460653
	b) कॉरपोरेटगकंबिं कोथ/	शून्य	शून्य
	c) खुदरा बैंकिंग	1299081	74800
	d) अन्य बैंकिंग परिचालन	13982	12171
	योग	2131316	547624
ii.	खंड परिणाम		
	a) ट्रेजरी	-63515	21011
	b) कॉरपोरेटगकंबिं कोथ/	शून्य	शून्य
	c) खुदरा बैंकिंग	-3216834	-4492625
	d) अन्य बैंकिंग परिचालन	12352	7980
	योग	-3267997	-4463634
iii.	अनावंटित व्यय	शून्य	शून्य
iv.	परिचालन लाभ	-3267997	-4463634
v.	प्रावधान	-62558	-1123500
vi.	असाधारण मदे (पूर्वावधि व्यय)	शून्य	शून्य
vii.	**निवल लाभ**	-3205439	-3340134
अन्य सूचना:			
viii.	आस्ति खंड		
	a) ट्रेजरी	26202027	11801950
	b) कॉरपोरेटगकंबिं कोथ/	शून्य	शून्य
	c) खुदरा बैंकिंग	4415369	4650718
	d) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उप योग	30617396	16452668
	e) अनाबंटित संपत्ति	शून्य	शून्य
	कुल आस्तियां	30617396	16452668
ix.	देयता खंड		
	a) ट्रेजरी	23630863	10250917
	b) कॉरपोरेटगकंबिं कोथ/	शून्य	शून्य
	c) खुदरा बैंकिंग	6986533	6201751
	d) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उप योग	30617396	16452668
	e) अनावंटित देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देयताएं	30617396	16452668

भाग ब - भौगोलिक खंड:

चूंकि बैंक केवल भारत में ही परिचालित है, अतः भौगोलिक खंड सम्बंधित रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

19. एएस 19 के अनुसार पट्टों का लेखांकन:

एएस-19: बैंक ने पट्टे पर कोई भी परिसर/आस्ति नहीं ली है। इसलिए, पट्टे से सम्बंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

20. एएस-20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
A	ईपीएस- मूल/डाइल्युटेड (रु. में)	-3.04	-4.00
B	ईपीएस- मूल/डाइल्युटेड (रु.में)	(3205439)	(3340134)
C	शेयर का अंकित मूल्य	रु. 10 प्रति शेयर	रु. 10 प्रति शेयर
D	विभाजक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1054301370	836000000

21. AS-22 के अनुसार आय करों का लेखांकन:

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की हैं। जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

प्रबंधन का विचार है कि पर्याप्त उपलब्ध अधिशेष की उचित निश्चितता के अभाव में, 31 मार्च 2021 को समाप्त चालू वर्ष के लिए घाटे पर मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 168.80 करोड़ रुपये की संचित हानियों पर मौजूदा आस्थगित कर संपत्ति की समीक्षा की गई और इसे उसी तरह बनाए रखने के लिए एक पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।तदनुसार, नीचे दर्शाए गए आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का 'अगले लाभ से घाटा-पूर्ति ' घटक वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों को दर्शाता है।

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की हैं। जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
अगले लाभ से घाटा-पूर्ति	1688009	1688009
उपदान	53431	33101
अवकाश नकदीकरण	43202	24681
कुल	**1784642**	**1745791**
आस्थगित कर देयदाताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	16522	41507
कुल	**16522**	**41507**
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	1768120	1704284

22. समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन (एएस-23)

बैंक के पास कोई भी गौण /सहायक संस्थाएं नहीं हैं और इसीलिए इस खंड के अंतर्गत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

23. आस्तियों की क्षति (एएस-28)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आस्तियों को कोई क्षति नहीं हुई है।

24. आरक्षित निधियों में से आहरण द्वारा कमी:

प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और पूंजी आरक्षित निधि में जमा किया गया।

अनुदान का उपयोग निम्नानुसार किया गया है;

क्र.सं.	अनुदानों का निवल उपयोग	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
1.	एटीएम/माइक्रो एटीएम/ पीओएस का प्रावधान	शून्य	शून्य
2.	नकद निकासी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकें, ग्रामीण डाक घरों की क्षमता निर्माण की पूर्ति, ग्रामीण डाक घरों में नकद प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना और वित्तीय साक्षरता	26.38	1.27
3.	प्रौद्योगिकी लागत	शून्य	शून्य
	योग	**26.38**	**1.27**

25. शिकायतों एवं बैंकिंग लोकपाल के कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों का प्रकटीकरण:

क्र.सं.		विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतों की संख्या	590	1352
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	13992	72969
3		वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	14323	73731
	3.1	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
4		वर्ष की समाप्ति पर लम्बित शिकायतों की संख्या	259	590
बैंक को लोकपाल से प्राप्त शिकायतें				
5		लोकपाल से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	45	शून्य
	5.1	5 में से साखा कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	44	शून्य
	5.2	5 में से शाखा कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	1	शून्य
	5.3	5 में सेबैंक के विरुद्ध शाखा कार्यालय द्वारा पारित निर्णय के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (किये गये अपील के अलावा)	शून्य	शून्य

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात निम्नलिखित से सम्बन्धित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में उल्लेखित 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष(2020-21)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	452	10951	-76.63%	218	0
टैरिफ अनुसूची एवं सेवा शुल्क	0	41	-99.54%	0	0
अन्य	138	3000	-82.64%	41	0
कुल	590	13992	-80.82%	259	0
विगत वर्ष(2019-20)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	352	46850	421.54%	452	0
टैरिफ अनुसूची एवं सेवा शुल्क	374	8841	12.88%	0	0
अन्य	626	17278	74.45%	138	0
कुल	1352	72969	173.10%	590	0

26 "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का अलग - अलग विवरण

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (लवनर्)	877	1091
एनपीए के लिए प्रावधान (लवनर्)	शून्य	शून्य
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आयकरनाधवाप्र एलर्कि रक तगस्थिआ/	-63435	-1124591
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	शून्य	शून्य
कुल	-62558	-1123500

27. **बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के सम्बन्ध में प्रकटीकरण**

(₹ 000 में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष2019-20**
जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	64957	9575

28. **I. जमा राशि, अग्रिम राशि, बैंक निवेश और एनपीए का संकेंद्रण:**

अ) जमा राशियों का संकेंद्रण:

(₹ 000 में)

विवरण	**31.03.2021**	**31.03.2020**
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	2000	2000
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	00.0087%	00.02%

b. अग्रिम राशियों का संकेंद्रण c. एक्सपोजर का संकेंद्रण d. एनपीए का संकेंद्रण e. प्रावधान कवरेज अनुपात	बैंक "भुगतान बैंक" की श्रेणी में आता है और उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, अग्रिम राशियों/एक्सपोज़र/एनपीए के संकेंद्रण और प्रावधान कवरेज अनुपात से सम्बन्धित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

II. क्षेत्रवार अग्रिम राशियां III. **एनपीए का संचलन** IV. विदेशी परि संपत्ति, एनपीए और राजस्व	बैंक "भुगतान बैंक" की श्रेणी में आता है और उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, क्षेत्रवार अग्रिम राशियों, एनपीए के संचलन से सम्बन्धित प्रकटीकरण लागू नहीं है

29. **क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड के पुरस्कार अंक**

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड जारी नहीं किया है। अतः डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

30. **प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित प्रकटीकरण**

बैंक "पेमेन्ट बैंकों" की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण से सम्बंधित कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

31. **ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)**

बैंक "पेमेन्ट बैंकों" की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक ने ऋण चूक स्वैप से सम्बंधित कोई संव्यवहार नहीं किया है।

32. **जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)**

यहां परिपक्व हो चुकी तथा 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया कोई गैर-दावाकृत जमा राशि नहीं है। इसलिए, वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में कोई भी राशि अंतरण के लिए कोई भी पात्र राशि नहीं थी।

33. **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर(यू एफसीई)**

बैंक ने इस अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा लेन-देन नहीं किया है तथा इसके पास कोई अरक्षित एक्सपोजर नहीं है। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं है।

34. **अंतः समूह एक्सपोजर**

बैंक "पेमेन्ट बैंकों" की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसीलिए इस खंड में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

35. **मानदेय का प्रकटन**

आई पीपीबी 100 प्रतिशत भारत सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए पूर्ण कालिक निदेशकों / मुख्य कार्यपालकों / अधिकारियों / जोखिम धारियों और नियंत्रण कार्य संबंधी स्टॉफ के मुआवज़े का प्रकटन, जो निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होता है, आईपीपीबी पर लागू नहीं होता ।

अन्य टिप्पणियां:

36. **अनुदान पर ब्याज**

सीएजी के निर्देशानुसार, बैंक ने लाभ और हानि खाते से 1.44 करोड़ रुपये की राशि को अनुदान खाते में स्थानांतरित कर दिया है, जो अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से पर अर्जित ब्याज है, जिसे डाक विभाग के माध्यम से भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि 2.47 करोड़ रुपये डाक विभाग को भारत की संचित निधि में आगे प्रेषण के लिए स्थानांतरित कर दी गई है।

37. **आकस्मिक देयताएं**

बैलेंस शीट की अनुसूची 12 के अंतर्गत दर्शाई गई 25 लाख रुपयों की आकस्मिक देयता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पक्ष में जारी की गई. 100 % मियादी जमा से आरक्षित नम्बर 2027 तक वैद्य बैंक गारंटी को दर्शाती है।

38. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का राइट इशु जारी करके 220 करोड रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी एकल की है।

39. **11वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन का प्रावधान**

बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा तय वेतन संरचना का पालन करता है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 11वें द्विपक्षीय निपटान के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो नवंबर 2017 से देय है।अत: बैंक ने 31.03.2021 (31.03.2020 तक 46.17 करोड़ रुपये) के बकाया वेतन के भुगतान के लिए लेखा पुस्तकों में 90 करोड़ रुपये का तदर्थ संचयी प्रावधान किया है।

40. **अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल आस्तियाँ**

अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल आस्तियों को 1 रुपये की नाममात्र कीमत पर अचल आस्ति रजिस्टर मे रखा गया है ।

41. **सर्वर और नेटवर्क स्विच पर मूल्यह्रास**

बैंक ने 30 मार्च 2019 को डीएक्ससी डिलीवर हार्डवेयर और आईपीपीबी-डीओपी इंटीग्रेशन से संबंधित अचल संपत्तियों को अधिग्रहण, मालिकाना और 'पुट टू यूज' नीति को ध्यान में रखते हुएसंग्रहण के आधार पर कुल 108.12 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया था।पूंजीकरण के समय, बैंक के पास परिसंपत्तियों का विभाजन नहीं था।जैसे, इन संपत्तियों को कंप्यूटर के तहत अचल संपत्ति रजिस्टर में 3 साल के उपयोगी काल के साथ दिखाया गया था और मूल्यह्रास की गणना की गई थी और इसके लिए प्रावधान किया गया था।

सीएजी ऑडिट टीम ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों के पूरक ऑडिट के दौरान बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इन परिसंपत्तियों के उपयोगी काल को 3 साल से 6 साल में बदलने की सलाह दी, क्योंकि ऐसी अधिकांश अचल संपत्ति सर्वर और नेटवर्क स्विच थे।

बैंक ने तदनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इन परिसंपत्तियों के उपयोगी काल को बदलकर कुल 108.12 करोड़ रुपये कर दिया।विगत वर्षों के दौरान इस तरह के पुनर्वर्गीकरण के कारण सृजित होने वाले 18.12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मूल्यह्रास को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उलट दिया गया था।

42. सुनाम प्रतिष्ठान

वर्ष के अंत मेंसंचित हानि बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक है और बैंक की निवल संपत्ति उस सीमा तक कम हो गई है।सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता संचालन की सफलता और संचालन के लिए धन की व्यवस्था करने की क्षमता पर निर्भर होती है।

बैंक को अगले बारह महीनों में अपनी परिचालन और पूंजीगत निधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा कर लेने का विश्वास है।तद्नुसार, ये वित्तीय विवरण एक सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।

43. नई कोरोना वायरस (कोविड - 19) महामारी भारत सहित पूर्ण विश्व में तेजी से लगातार फैल रही है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां में गिरावट और वित्तीय बाजार में अनिश्चितता आई ।

ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विस्थापित श्रमिकों, तथा समाज के अन्य आर्थिक रुप से संवेदनशील वर्ग बुरी तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए . ये वर्ग बैंक का लक्षित वर्ग है और इसीलिए इसकी बैंकिंग आवश्यकताओं का ध्यान रखने में बड़ी चुनौतियां सामने आई. जब स्थितियां धीरे – धीरे स्पष्ट होती है बैंक ने आगे बढ़कर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया है ।

कोविड -19 महामारी बैंक के परिचालनों और वित्तीय परिणामों को किस सीमा तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य की संभावनाओं , जो अत्यधिक अनिश्चित है, और जिनके प्रभाव का आकलन या अनुमान नहीं लगाया जा सकता , अन्य अनेक चीजों के साथ , महामारी की तीव्रता से संबंधित नई जानकारी और इसके प्रसार को रोकने या कम करने से संबंधित सरकार द्वारा अधिदेशित अथवा बैंक द्वारा चयनित कार्यवाही पर निर्भर है ।

44. आईपीपीबी शाखाओं तथा एक्सपेस प्वाइंटों की सज्जा /ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग के अंचल कार्यालयों को दी गई धन राशि

आईपीपीबी/डाक विभाग ने (आईपीपीबी निधियों से) वित्तीय वर्ष 2017-18 में डाक विभाग के 23 अंचलों को 650 आईपीपीबी शाखाओं (रु. 16.81 करोड़) की सज्जा एवं आई पीपीबी की सभी शाखाओं / डाक विभाग को सभी एक्सेस प्वाइंट जैसे- एच.ओ., एस.ओ. एवं बी.ओ. (रु. 49.47 करोड़) को प्रचार-प्रसार के लिए रु. 66.28 करोड़ राशि प्रेषित की थी। 1 सितम्बर, 2018 से आईपीपीबी की सभी शाखाएं सक्रिय हो चुकी हैं।

इसके बाद, 16.81 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की तुलना में, बैंक को अब तक किश्तों में, 14.79 करोड़ रुपये की राशि के बिल और 31.03.2021 तक 1.78 करोड़ रुपये की रिफंड प्राप्त हुई है।

इसी तरह, ब्रांडिंग के लिए 49.47 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि के बनिस्पतबैंक को अब तक किश्तों में 36.64 करोड़ रुपये के बिल और 31.03.2021 को 12.83 करोड़ रुपये की रिफंडप्राप्त हुई है।

31.03.2021 को डीओपी से 0.24 करोड़ रुपये के बिल/रिफंड अभी भी प्राप्य हैं और इसे डीओपी (पूंजीगत प्रतिबद्धता) के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया गया है।ऊपर उल्लिखित शेष बिलों/रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक नियमित रूप से डाक विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
चूंकि सज्जा,तथाप्रचार-प्रसार से सम्बंधित कार्य डाक विभाग द्वारा करवाया गया था, इसीलिए कुछ विक्रेताओं ने डाक विभाग के नाम पर बिल प्रस्तुत किये हैं।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपीपीबी डाक विभाग का मूल विभाग है आईपीपीबी ने डाक विभाग के नाम से उक्त बिलों को अपना समझ कर स्वीकार किया है और अपनी खाता बहियों में इनको लेखांकित किया है।

45. एसआई लागत

आईपीपीबी ने अपने समर्पित एवं आवश्यकतानुसार तैयार प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के लिए रु. 801 करोड़ (जीएसटी सहित) राशि की संविदा दी है। संविदा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जो 12 जुलाई, 2018 से प्रभावी है।

करार के अनुसार यह राशि पाँच वर्ष की अवधि के दौरान , करार में उल्लिखित उपलब्धियों के आधार पर देय हो जायेगी । विक्रेता तदनुसार , जब और जैसे भुगतान देय हो जाये, आई पीपीबी के पास बीजक प्रस्तुत करेगा और बीजक की राशि उस समय पर देय राशि तक सीमित है।

विवेक सम्मत लेखांकन व्यवहार के रुप में आईपीपीबी अपने स्वामित्व वाले और प्रयुक्त किए गए (प्रारम्भ की तारीख तक) हार्ड वेयर की पूरी राशि 106.32 करोड़ रुपये को 31 मार्च 2019 को पूंजीकृत कर दिया है । यह हार्ड वेयर बैंक के नाम में बीमित है ।31 मार्च 2021 तक 98.03 करोड़ रुपये के बिल प्राप्त हुए । 8.29 करोड़ रुपये के शेष बिल संविदा की शेष अवधि के दौरान प्राप्त होंगे ।

इसी प्रकार इसके स्वामित्व और प्रयुक्त किए गए (प्रारम्भ की तारीख तक) साफ्टवेयर की 240.46 करोड़ रुपये की पूरी राशि को भी 31 मार्च 2019 को पूंजीकृत कर दिया है, जिसमें से 31 मार्च 2021 तक 198.98 करोड़ रुपये के बिल प्राप्त हुए है । 41.48 करोड़ रुपये के शेष बिल संविदा की शेष अवधि में प्राप्त किए जाएंगे।

उपरोक्त हार्डवेयर एव साफ्टवेयर कसे बैंक के अचल आस्ति रजिस्टर में समुचित रुप से दर्ज किया गया है और तदनुसार उन पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। इस हार्डवेयर की जांच और लेखा परीक्षा स्वतंत्र लेखा परीक्षक मैं. एसटीक्यूसी आई टी सर्विसेज द्वारा अलग से की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने 70.34 करोड़ रुपये का भुगतान (कार्य निष्पादन के आधार पर) विक्रेता को किया है जिसमें हार्डवेयर , सॉफ्टवेयर एएमसी शुल्क , कार्यान्वयन एव अनुकूलन शुल्क के लिए भुगतान शामिल है।

46. पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुन: समूहित किया गया है और जहाँ आवश्यक हुआ है,वहां पुनः स्थापित किया गया है।

(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव (पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 फ्लैट सं. 9, चंदर नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली – 110021

(जे वेंकटरामु)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पैन AEQPJ5187D)
ई 62, आनंद निकेतन, नई दिल्ली –110021

(के संध्या रानी)
(DIN07314954)
डी 10, टॉवर 7, टाइप VI ए
न्यू मोतीबाग, दिल्ली-21

(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN 09199133)
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग, दिल्ली - 110021

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार (एफआरएन 000517N)

(देविंदर कुमार अग्रवाल)
साझेदार सदस्यता संख्या- 087716

दिनांक: 29.07.2021
स्थान: नई दिल्ली

नकदी प्रवाह विवरण

विवरण		राशि (रुपये में) (2020-21)	राशि (रुपये में) (2019-20)
ए. प्रचालनों से नकदी प्रवाह			
i करोपरांत निवल लाभ		-3,205,438,877	-3,340,134,041
योग : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)		-62,557,770	-1,123,500,357
कर पूर्व लाभ	i)	-3,267,996,647	-4,463,634,398
ii समायोजन			
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास		624,091,310	953,558,355
संयोजन व्यय बट्टे खाते में डाला गया		-	-
पूर्व अवधि मद बट्टे खाते में डाला गया		-	-
यून : अनुदानों से उपयोग की गई निवल राशि		288,534,426	12,732,800
कुल समायोजन	ii)	335,556,884	940,825,555
प्रचालनगत परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	(i)+(ii)	-2,932,439,763	-3,522,808,843
iii प्रचालनगत परिसंपत्तियों एवं देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन			
निवेशों में वृद्धि (निवल)		-12,148,404,882	-3,829,705,200
अन्य परिसपत्तियों में वृद्धि (निवल)		-105,425,353	-277,204,057
जमाओं में वृद्धि (निवल)		14,446,538,924	7,602,720,471
उधारियों में वृद्धि (निवल)		169,963,638	-
अन्य देयताओं में वृद्धि (निवेल)		842,198,164	-17,177,380
परिचालन परिसंपत्तियों तथा देयताओं में निवल परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)	3,204,870,491	3,478,633,833
प्रचालनों से प्रयुक्त नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)		272,430,728	-44,175,010
भुगतान किया गया		-	-
प्रचालनों से प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	A	272,430,728	-44,175,010
बी. निवेश करने वाली गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह			
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		-197,007,038	-9,379,132
निवेश करने वाली गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह	B	-197,007,038	-9,379,132

विवरण			राशि (रुपये में) (2020-21)		राशि (रुपये में) (2019-20)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह					
शेयर पूंजी का निर्गम			2,200,000,000		3,350,000,000
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	C		2,200,000,000		3,350,000,000
नकदी तथा नकदी सममरूप में निवल बदलाव (ए). (बी). (सी)	D		2,275,423,691		3,296,445,858
वर्ष के आरंभ में नकदी तथा नकदी समरूप					
आरबीआई के साथ नकदी तथा शेष		326,956,650		109,028,399	
बैंकों के पास शेष तथा कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पर मनी		4,546,291,831		1,467,774,224	
			4,873,248,481		1,576,802,623
वर्ष की समाप्ति पर नकदी तथा नकदी समरूप					
आरबीआई के साथ नकदी तथा शेष		854,128,200		326,956,650	
बैंकों के पास शेष तथा कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पर मनी		6,294,543,972		4,546,291,831	
			7,148,672,172		4,873,248,481
			2,275,423,691		3,296,445,858

(प्रियंका भटनागर)
कम्पनी सचिव (पैन संख्या AQKPB7572L)
निवासी - सी-8 फ्लैट सं. 9, चंदर नगर
गाजियाबाद, उत्तर-प्रदेश

(सीमा सिंह)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(पैन संख्या AHSPS3813Q)
ई-75, आनंद निकेतन, नई दिल्ली – 110021

(जे वेंकटरामु)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पैन AEQPJ5187D)
ई 62, आनंद निकेतन, नई दिल्ली –110021

(के संध्या रानी)
(DIN07314954)
डी 10, टॉवर 7, टाइप VI ए
न्यू मोतीबाग, दिल्ली-21

(विनीत पांडे)
अध्यक्ष
(DIN 09199133)
बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग, दिल्ली - 110021

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार (एफआरएन 000517N)

(देविंदर कुमार अग्रवाल)
साझेदार सदस्यता संख्या- 087716

दिनांक: 29.07.2021
स्थान: नई दिल्ली

रिप.वि.लेखा/एफ-286/IPPBL/2020-21/252

गोपनीय

क्रमांक
No.

कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार
शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली–110054
OFFICE OF THE
Director General Of Audit, Finance & Communication
SHAMNATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

सत्यमेव जयते

दिनांक 22/10/2021
Date

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि. (आईपीपीबीएल)
नई दिल्ली -110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि. (आईपीपीबीएल) के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम,
2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत सीएजी की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं एतदद्वारा सूचना तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईपीपीबीएल के वार्षिक खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 'शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र प्रेषित करता हूं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

दूरभाष/Telephone
011-23814747 / 4623 / 2666

ई–मेल/E-mail
pdafincom@cag.gov.in

फैक्स/Fax
+91-011-23813822

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि. (आईपीपीबीएल) के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि. (आईपीपीबीएल)** के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर विचार करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा उनकी दी गई **29 जुलाई, 2021** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की तरफ से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आईपीपीबीएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। अनुपूरक लेखापरीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्र तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी या परिशिष्ट देना हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की ओर से

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10/2021

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम संख्या	टिप्पणियां / चर्चाएं	प्रबंधन का उत्तर
01	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के संदर्भ के साथ, प्रबंध निदेशक का पद 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक रिक्त था। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च, 2020 को एमडी एवं सीईओ के इस्तीफे तथा एमडी एवं सीईओ के बदले में कंपनी के कार्य / निर्णय के संचालन, जब तक कि नष एमडी और सीईओ नियुक्त नहीं कर लिया जाता या चार महीनों की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) के गठन पर अंतरिम व्यवस्था के संबंध में पत्र जारी किया।	आईपीपीबी के एमडी एवं सीईओ श्री सुरेश सेठी के इस्तीफे के बाद, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी (9) की शर्तों के अनुसार, एक अंतरिम व्यवस्था की सलाह दी जिसे बोर्ड द्वारा 4 महीने की अवधि के लिए या नए एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, विधिवत अनुमोदित किया गया था। चार महीनों के बाद, आरबीआई के अनुमोदन के अनुरूप, श्री वी ईश्वरन, सीओओ को बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।
02	लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप 1 नवंबर, 2020 से प्रभावी नहीं है। लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे जिनमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे।	श्री गौरी शंकर तथा श्री के जी कर्माकर के इस्तीफे के बाद बैंक के पास केवल दो स्वंतत्र निदेशक रह गए थे। मंत्रालय ने आईपीपीबी के छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद समिति की संरचना में सुधार किया जाएगा।
03	31 मार्च, 2021 को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अधिक नहीं थी जैसाकि भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देशों ('लाइसेंसिंग दिशानिर्देश') में निर्धारित है।	मंत्रालय ने आईपीपीबी के छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी है।
04	कंपनी ने आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना 26 नवंबर, 2020 को एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों में 77.01 लाख रुपये का निवेश किया है। तत्पश्चात, 7 सितंबर, 2021 के पत्र के अनुसार, आरबीआई ने एनपीसीआई में किए गए निवेश को वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी आरबीआई के निर्देशों और बोर्ड की मंजूरी के अनुसार एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।	बोर्ड ने 8 नवंबर, 2021 को हुई अपनी 44वीं बैठक में बैंक को अन्य शेयरधारकों को शेयर बेचकर एनपीसीआई के इक्विटी शेयर से निवेश वापस लेने तथा इन शेयरों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एनपीसीआई से संपर्क करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह के हर प्रस्ताव के साथ जोखिम और अनुपालन टीम का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि सभी संगत नियमों का अनुपालन किया गया है और इसे आईपीपीबी के एमडी एवं सीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।